भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	विहंगावलोकन	vii
अध्याय–1	**सामान्य**	**1**
1.1	राजस्व प्राप्तियों का रूझान	1
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	3
1.3	संग्रह की लागत	4
1.4	व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन	5
1.5	राजस्व के बकाये	7
1.6	लेखा परीक्षा के परिणाम	8
1.7	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	9
अध्याय–2	**व्यापार कर**	**11**
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	11
2.2	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 4–ख के अन्तर्गत निर्माताओं को विशेष छूट	12
2.3	माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अवनिर्धारण	20
2.4	गलत दर लगाये जाने के कारण कर का अवनिर्धारण	21
2.5	केन्द्रीय बिक्रीकर का अनारोपण/कम आरोपण	23
2.6	टर्नओवर के छूट जाने के कारण कर का अवनिर्धारण	24
2.7	कर की गलत करमुक्ति/रियायत	25
2.8	अतिरिक्त कर का अनारोपण	27
2.9	ब्याज का अनारोपण	27
2.10	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण	28
2.11	गणना की त्रुटि के कारण कर का अवनिर्धारण	29
2.12	निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण राजस्व की हानि	29

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.13	परेषण बिक्री/ब्रान्च ट्रान्सफर का प्रति सत्यापन	30
2.14	तरल ग्लूकोज की बिक्री पर कर का अवनिर्धारण	32
अध्याय–3	**राज्य आबकारी**	**33**
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	33
3.2	अर्थदण्ड का अनारोपण	33
3.3	संशोधित दर के लागू न करने से कम कर का आरोपण	34
3.4	शीरा से शराब का कम उत्पादन	34
अध्याय–4	**वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर**	**37**
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	37
4.2	परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा के कार्यकलापों पर समीक्षा	37
4.3	यात्रीकर का अनारोपण	42
4.4	कम्पोजिट फीस का कम वसूला जाना	43
4.5	यात्रीकर की गलत छूट	44
4.6	मैक्सीकैब वाहनों पर यात्रीकर का अवनिर्धारण	44
4.7	यात्री वाहनों पर कर का कम आरोपण	45
4.8	एकमुश्त यात्रीकर का गलत आगणन	45
4.9	यात्रीकर निर्धारण से छूट जाना	46
अध्याय–5	**स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस**	**47**
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	47
5.2	स्टाम्प शुल्क का कम/न वसूल किया जाना	47
5.3	जारी किये गये बान्डों पर स्टाम्प शुल्क कम जमा किये जाने से राजस्व हानि	49
5.4	लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	49
5.5	सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क का अवनिर्धारण	50

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय–6	**भू–राजस्व**	**53**
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	53
6.2	नजूल भूमि के प्रबन्धन पर समीक्षा	53
6.3	संग्रह प्रभार की वसूली न किया जाना	65
6.4	सुख–साधन कर की वसूली न किया जाना	66
6.5	सुख–साधन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की वसूली न किया जाना	67
अध्याय–7	**अन्य कर प्राप्तियाँ**	**69**
(क) विद्युत शुल्क		
7.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	69
7.2	विद्युत शुल्क एवं फीस का निर्धारण एवं संग्रहण पर समीक्षा	69
(ख) गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार		**77**
7.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	77
7.4	क्रय कर का भुगतान न किया जाना	77
(ग) मनोरंजन कर तथा बाजीकर		**78**
7.5	लेखा परीक्षा के परिणाम	78
7.6	रख रखाव प्रभार का गलत उपयोग/अनुपयोग किये जाने पर मनोरंजन कर की भाँति वसूली न होना	78
अध्याय–8	**वन प्राप्तियाँ**	**81**
8.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	81
8.2	टिम्बर के वास्तविक उत्पाद पर रायल्टी की वसूली न किया जाना	82
8.3	बाँस के लाटों पर कार्य न करने से हानि	82
8.4	वृक्षों का अवैध पातन	83
8.5	लीसा का कम विदोहन	84

संग्लग्नक

संग्लग्नक –I	लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	87
संग्लग्नक –II	प्रीमियम के शासकीय अंश का अनाधिकृत प्रतिधारण	88
संग्लग्नक –III	प्रीमियम के शासकीय अंश एवं भू–नाटक का अनाधिकृत प्रतिधारण	89
संग्लग्नक –IV	अनाधिकृत कब्जेदारों के अधीन नजूल भूमि	90

प्राक्कथन

31 मार्च, 2000 को समाप्त हुये वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा–16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम, व्यापार कर, राज्य आबकारी, भू-राजस्व, मोटर वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, मनोरंजन कर एवं बाजीकर, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों को भी समाविष्ट करते हुये है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से हैं जिन्हें वर्ष 1999-2000 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया, किन्तु विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 35 प्रस्तर एवं 4 समीक्षायें सम्मिलित हैं जिसमें कर, अर्थदण्ड एवं ब्याज आदि के अनारोपण/कम आरोपण के 1978.22 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है जो 1999-2000 की राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत है। शासन ने 1.18 करोड़ रूपये की लेखा परीक्षा आपत्तियॉ स्वीकार कर ली हैं जिनमें 0.11 करोड़ रूपये की वसूली जून 2000 तक की जा चुकी है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं:

1. सामान्य:

वर्ष 1999–2000 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व, दोनों कर (9400.91 करोड़ रूपये) तथा करेतर (2011.74 करोड़ रूपये) विगत वर्ष के दौरान 9387.37 करोड़ रूपये के विपरीत 11412.65 करोड़ रूपये रहा। सहायता अनुदान सहित वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्तियॉ लगभग 10082.47 करोड़ रूपये थी। कर राजस्व में व्यापार कर (3703.59 करोड़ रूपये) तथा राज्य आबकारी (2126.33 करोड़ रूपये) के अन्तर्गत प्राप्तियॉ ही प्रमुख अंश (62.01 प्रतिशत) रही। करेतर प्राप्तियों के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियॉ, ब्याज प्राप्तियॉ (476.68 करोड़ रूपये), अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग (180.17 करोड़ रूपये), वानिकी एवं वन्य जीवन (160.52 करोड़ रूपये), अन्य प्रशासनिक सेवाएं (103.70 करोड़ रूपये), एवं शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति से (137.63 करोड़ रूपये) थी।

- *वर्ष 1999-2000 के दौरान कर राजस्व तथा करेतर राजस्व में, विगत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में, क्रमशः 18.81 प्रतिशत एवं 36.38 प्रतिशत की बढोत्तरी रही।*

(प्रस्तर 1.1)

- *वर्ष 1999-2000 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व, विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर तथा वन प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 2366.27 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण, कम आरोपण, राजस्व हानि आदि के 2736 मामलों का पता चला। वर्ष 1999-2000 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 12.91 करोड़ रूपये की निहित धनराशि वाले अवनिर्धारण आदि के 914 मामले स्वीकार किये जिसमें से सन्निहित 4.11 करोड़ रूपये के 99 मामले वर्ष 1999–2000 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो में लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे।*

(प्रस्तर 1.6)

- *1828.99 करोड़ रूपये की सन्निहित धनराशि के 7300 निरीक्षण प्रतिवेदन (31 दिसम्बर 1999 तक निर्गत) जिनमें 14709 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे, जून 2000 तक लम्बित थे।*

(प्रस्तर 1.7)

2. व्यापार कर

'उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 4–ख के अन्तर्गत निर्माताओं को विशेष छूट' पर एक समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- *12 वृत्तों की 13 इकाइयों द्वारा घोषणापत्रों के दुरूपयोग के फलस्वरूप 1.38 करोड़ रूपये के कर का आरोपण नहीं किया गया।*

(प्रस्तर 2.2.7)

- *मिथ्या घोषणाओं के दिये जाने के लिए 6.33 करोड़ रूपये अर्थदण्ड का अनारोपण ।*

(प्रस्तर 2.2.10 (ग))

3. राज्य आबकारी

- *मोटर स्पिरिट एवं डीजल आयल की बिक्री पर संशोधित दर के लागू न करने के परिणामस्वरूप 1.22 करोड़ रूपये कर का कम आरोपण।*

(प्रस्तर 3.3)

4. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

'परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा के कार्य कलापों पर समीक्षा' में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- *प्रवर्तन शाखा द्वारा अनुपयुक्त कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप 191.38 करोड़ रूपये की बकाया कर की वसूली नहीं की गयी।*

(प्रस्तर 4.2.5)

- *माल वाहनों में दो चालक के होने की शर्त न लगाये जाने से शासन को अर्थदण्ड के रूप में 19.75 करोड़ रूपये की राजस्व से वंचित होना पड़ा।*

(प्रस्तर 4.2.7)

- *उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अधिभार स्वरूप बढ़े किराये पर यात्रीकर 29.79 करोड़ रूपये का अनारोपण।*

(प्रस्तर 4.3(क))

5. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

- *अनुबन्ध विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के अनारोपण से शासन को 60.81 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।*

(प्रस्तर 5.2 (क))

6. भू–राजस्व

'नजूल भूमि के प्रबंधन' की समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- *पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के बाद नजूल भूमि का अनाधिकृत रूप से प्रतिधारण किये जाने से सरकार को 171.17 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।*

(प्रस्तर 6.2.7)

- *अनाधिकृत कब्जों का विनियमितीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप 189.15 करोड़ रूपये प्रीमियम की हानि हुई।*

(प्रस्तर 6.2.9)

- *नजूल भूमि के क्षेत्रफल में भिन्नता के कारण सरकार को 464.03 करोड़ रूपये प्रीमियम की धनराशि से वंचित होना पड़ा।*

(प्रस्तर 6.2.11)

- *नजूल भूमि की अनाधिकृत कब्जों से सरकार को 657.77 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।*

(प्रस्तर 6.2.12)

7. अन्य कर प्राप्तियॉं

'विद्युत शुल्क एवं फीस का निर्धारण तथा संग्रहण' पर समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- *लाइसेंसधारकों एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से विद्युत शुल्क की वसूली न किये जाने से सरकार को 75.03 लाख रूपये की विद्युत शुल्क से वंचित होना पड़ा।*

(प्रस्तर 7.2.7)

- *उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विद्युत वितरण खण्डों से, विद्युत शुल्क के कम आरोपण से सरकार को 1.97 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।*

(प्रस्तर 7.2.8)

8. वन प्राप्तियॉ

- *3506 कुन्तल लीसा के विदोहन में कमी के परिणामस्वरूप 61.36 लाख रूपये की राजस्व हानि।*

(प्रस्तर 8.5)

अध्याय–1 : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे दिये गये है:

(करोड़ रूपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व			
(क) कर राजस्व	6998.17	7912.31	9400.91
(ख) करेतर राजस्व	1291.71	1475.06	2011.74
योग	**8289.88**	**9387.37**	**11,412.65**
II. भारत सरकार से प्राप्तियाँ			
(क) विभाज्य संघीय अंश करों में राज्य का भाग	7114.70	5768.92	7478.90
(ख) सहायक अनुदान	2166.53	2222.40	2603.57
योग	**9281.23**	**7991.32**	**10,082.47**[1]
III. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I + II)	17571.11	17378.69	21495.12
IV. I से III की प्रतिशतता	**47**	**54**	**53**

(i) वर्ष 1999–2000 के लिये कर राजस्व का विवरण साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के आंकड़े अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं:

1 विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1999-2000 के वित्त लेखों में 'लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या-11– देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में लेखा शीर्षक-कर राजस्व के अन्तर्गत 0021–निगम कर से भिन्न आय पर राज्यों को समुदेशित निबल प्रप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

(करोड़ रूपये में)

राजस्व शीर्ष	1997–98	1998–99	1999–2000	1998–99 के संदर्भ में 1999–2000 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	1998–99 के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1. व्यापार कर	3083.44	3377.89	3703.59	+325.70	+9.64
2. राज्य आबकारी	1404.09	1631.34	2126.33	+494.99	+30.34
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	956.00	1031.78	1177.57	+145.79	+14.13
4. मोटर स्प्रिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर	815.55	1008.76	1359.31	+350.55	+34.75
5. माल एवं यात्रियों पर कर	222.36	238.18	100.26	-137.92	-57.90
6. वाहनों पर कर	166.60	211.30	512.10	+300.80	+142.36
7. गन्ने के क्रय पर कर	35.95	71.02	36.35	-34.67	-48.82
8. विद्युत पर कर और शुल्क	110.88	100.85	126.41	+25.56	+25.34
9. भू–राजस्व	66.57	88.34	116.09	+27.75	+31.41
10. आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.21	शून्य	0.56	+0.56	+0.56
11. कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर	3.33	0.01	1.16	+1.15	+11500.00
12. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	126.84	136.87	135.89	-0.98	-0.72
13. अन्य (होटल प्राप्तियाँ एवं निगमित कर आदि)	6.35	15.97	5.29	-10.68	-66.88
योग	**6998.17**	**7912.31**	**9400.91**	**+1488.60**	**+18.81**

भिन्नता जहाँ पर्याप्त थी, के कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाया गया था (अगस्त 2000); प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2000)।

(ii) वर्ष 1999–2000 के लिये करेतर राजस्व का विवरण पूर्ववर्ती दो वर्षों के आंकड़ों के साथ निम्नांकित सारिणी में दर्शाये गये हैं:

(करोड़ रूपये में)

राजस्व शीर्ष	1997–98	1998–99	1999–2000	1998–99 के संदर्भ में 1999–2000 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	1998–99 के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1	2	3	5	5	6
1. विविध सामान्य सेवायें	63.88	96.78	126.80	+30.02	+31.02
2. ब्याज प्राप्तियाँ	484.34	428.00	476.68	+48.68	+11.37
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	113.26	125.91	160.52	+34.61	+27.49
4. वृहत और मध्यम सिंचाई	40.86	49.13	40.16	-8.97	-18.26
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	95.89	101.34	137.63	+36.29	+35.81
6. अन्य प्रशासनिक सेवायें	36.15	102.58	103.70	+1.12	+1.09
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	151.97	145.81	180.17	+34.36	+23.56
8. पुलिस	47.83	74.84	53.17	-21.67	-28.96
9. क्राप हस्बेण्ड्री	17.91	17.53	16.51	-1.02	-5.82
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	12.12	17.16	26.37	+9.21	+53.67
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	21.78	33.02	34.97	+1.95	+5.91
12. लघु सिंचाई	34.10	35.09	36.61	+1.52	+4.33
13. सड़क एवं सेतु	19.13	22.06	24.30	+2.24	+10.15
14. लोक निर्माण	23.08	21.90	26.77	+4.87	+22.24
15. सहकारिता	4.29	4.62	17.76	+13.14	+284.42
16. अन्य	125.12	199.29	549.62	+350.33	+175.79
योग	**1291.71**	**1475.06**	**2011.74**	**+536.68**	**+36.38**

भिन्नता जहॉ पर्याप्त थी, के कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाया गया था (अगस्त 2000); प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2000)।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

वर्ष 1999-2000 के दौरान कर एवं करेतर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य मुख्य शीर्ष में भिन्नता निम्नांकित सारिणी में दी गयी है:

(करोड़ रूपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
(क) कर राजस्व				
1. व्यापार कर	4320.00	3703.59	-616.41	-14.27
2. राज्य आबकारी	2260.00	2126.33	-133.67	-5.91
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1450.00	1177.57	-272.43	-18.79
4. मोटर स्प्रिट एवं स्नेहकों की बिक्री पर कर	1380.00	1359.31	-20.60	-1.50
5. माल एवं यात्रियों पर कर	437.60	100.26	-337.34	-77.09
6. वाहनों पर कर	212.40	512.10	+299.70	+141.10
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क, मनोरंजन कर	140.19	135.89	-4.30	-3.07
8. गन्ने के क्रय पर कर	60.00	36.35	-23.65	-39.42
9. विद्युत पर कर और शुल्क	142.80	126.41	-16.39	-11.48
10. भू–राजस्व	46.75	116.09	+69.34	+148.32
(ख) करेतर राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवायें	270.39	126.80	-143.59	-53.10
2. ब्याज प्राप्तियाँ	461.48	476.68	+15.20	+3.29
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	200.90	160.52	-40.38	-20.10
4. वृहत एवं मध्यम सिंचाई	201.85	40.16	-161.69	-80.10
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	86.40	137.63	+51.23	+59.29
6. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	200.00	180.17	-19.83	-9.92

पर्याप्त भिन्नता के कारणों को, यद्यपि राज्य सरकार से मंगाया गया था (अगस्त 2000); प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2000)।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह पर हुये व्यय तथा सकल संग्रह पर हुये व्यय के प्रतिशत के साथ ही साथ वर्ष 1998-99 के दौरान सकल संग्रह पर हुये व्यय के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1998–99 के लिए अखिल भारतीय औसत
1	2	3	4	5	6
1. व्यापार कर	1997-98	3083.44	85.32	2.8	
	1998-99	3377.89	80.51	2.4	1.40
	1999-2000	3703.59	133.05	3.6	
2. वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	1997-98	388.96	15.00	3.8	
	1998-99	449.48	14.21	3.2	3.22
	1999-2000	612.36	0.18	0.03	
3. राज्य आबकारी	1997-98	1404.09	18.78	1.3	
	1998-99	1631.34	24.48	1.5	3.25
	1999-2000	2126.33	24.16	1.1	
4. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1997-98	956.00	16.43	1.7	
	1998-99	1031.78	13.71	1.3	5.45
	1999-2000	1177.57	20.80	1.8	

लेखा शीर्ष 'व्यापार कर' के अन्तर्गत संग्रह पर किया गया व्यय एवं ऐसे व्यय की सकल संग्रह की प्रतिशतता, अखिल भारतीय संग्रह लागत के औसत प्रतिशत से निरन्तर अधिक रही है।

1.4 व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

(क) कर निर्धारण के बकाया मामले

वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक के लिये वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु नियत मामले, वर्ष में निस्तारित किये गये मामलों तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या, जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया था, नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु नियत मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अंत में अवशेष	कालम 5 की कालम 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1995-96	9,41,134	4,28,990	13,70,124	8,07,277	5,62,847	59.00
1996-97	5,62,847	5,26,778	10,89,625	4,86,648	6,02,977	44.7

1	2	3	4	5	6	7
1997-98	6,69,353	4,51,315	11,20,668	7,30,551	3,90,117	65.19
1998-99	4,42,379	4,66,899	9,09,278	4,89,535	4,19,743	53.84
1999-2000	4,57,508	4,89,838	9,47,346	4,89,357	4,57,989	51.66

यह देखा गया कि वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं वर्ष 1998-99 के अन्तशेष से अनुवर्ती वर्षों के आदिशेष में भिन्नता है। विभाग ने बताया कि यह भिन्नता अन्य विभागों से वर्ष के दौरान प्राप्त सूचनाओं एवं त्रुटियों के सुधार के कारण है। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वर्ष विशेष का आदिशेष पूर्व वर्ष के अन्त शेष से भिन्न नहीं हो सकता है। विभाग को अभिलेखों के रख रखाव की प्रणाली को ठीक करने की आवश्यकता है जिससे की आंकड़ों की संगति एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

(i) वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के दौरान निष्पादन हेतु नियत अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों तथा व्यापार कर विभाग द्वारा निस्तारित मामलों के साथ ही साथ वर्ष 1999–2000 के अन्त में अवशेष अपील एवं पुनरीक्षण मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, निम्न सारिणी में दर्शित है:

वर्ष	आदिशेष	वर्ष के दौरान दायर की गई अपीलों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में अवशेष	सम्पूर्ण मामलों की संख्या से निस्तारित मामलों की प्रतिशतता
अपील के मामले						
1995-96	56,302	36,715	93,017	36,138	56,879	39
1996-97	56,879	42,166	99,045	32,913	66,132	33
1997-98	66,132	48,794	1,14,926	54,932	59,994	48
1998-99	59,994	61,931	1,21,925	61,339	60,586	50
1999-2000	60,586	55,194	1,15,780	64,168	51,612	55
पुनरीक्षण के मामले						
1995-96	67,353	14,374	81,727	19,853	61,894	24
1996-97	61,894	8,444	70,338	13,226	57,112	19
1997-98	57,112	9,544	66,656	16,609	50,047	25
1998-99	50,047	14,225	64,272	14,858	49,414	23
1999-2000	49,414	विभाग द्वारा सूचनायें प्राप्त नहीं करायी गई				

(ii) 31 मार्च 2000 को लम्बित अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों का वर्षवार विभाजन नीचे दिया गया है :

वर्ष	31 मार्च, 2000 को लम्बित	
	अपील के मामले	पुनरीक्षण के मामले
1997 तक	107	11,705
1998	2,508	1,556
1999	35,622	1,770
2000	13,375	585
योग	**51,612**	**15,616**

1.5 राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2000 को राजस्व के बकाये की स्थिति, जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया था, निम्न प्रकार थी:

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया		टिप्पणी
		योग	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये	
1	2	3	4	5
1.	व्यापार कर	5421.10	उपलब्ध नहीं है	5421.10 करोड़ रुपयें में से 851.11 करोड़ रुपये के लिए माँग भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गयी थी। 1302.54 करोड़ रुपये एवं 76.22 करोड़ रुपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 115.43 करोड़ रुपये की वसूली त्रुटि सुधार पुनः विचार प्रार्थना पत्रों के कारण रूकी हुयी थीं। 398.49 करोड़ रुपये की मांग की अपलिखित होने की सम्भावना थी। 2677.31 करोड़ रुपये अवशेष बकाये के सम्बन्ध में की गयी सुनिश्चित कार्यवाही का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
2.	गन्ने पर क्रय कर	30.91	10.85	30.91 करोड़ रुपये में से 1.36 करोड़ रुपये की मांग भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गयी थी। 0.07 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 29.48 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण, यद्यपि (अगस्त 2000) में मांगा गया था, विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

(करोड़ रुपये में)

1	2	3	4	5
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	34.37	16.41	34.37 करोड़ रुपये में से 8.20 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 0.99 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 0.15 करोड़ रुपये की मांग के अपलिखित होने की सम्भावना थी। 25.03 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में की गयी विशिष्ट कार्यवाही का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
4.	मनोरंजन कर	7.63	3.38	7.63 करोड़ रुपये में से 1.26 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 5.46 करोड़ रुपये एवं 0.21 करोड़ रुपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों एवं सरकार द्वारा स्थगित थी। 0.70 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में विशिष्ट कार्यवाही के क्रम में विभाग द्वारा नोटिसें जारी कर दी गयी हैं।
5.	विद्युत शुल्क	104.20	शून्य	104.20 करोड़ रुपये में से 0.04 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित थी। 2.96 करोड़ रुपये की धनराशि, जो बीमार इकाइयों से सम्बन्धित थी, बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्थगित कर दिया गया है। अवशेष 101.20 करोड़ रुपये की धनराशि वसूली की प्रक्रिया में है।
6.	राज्य आबकारी	91.49	उपलब्ध नहीं है।	91.49 करोड़ रुपये में से 10.52 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 78.70 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित की गयी थी। 2.27 करोड़ रुपये की मांग दीवालिया व्यापारियों से सम्बन्धित थी।

अन्य विभागों से सम्बन्धित बकाये की स्थिति यद्यपि मांगी गयी थी (जून 2000); प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 2000)।

1.6 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999–2000 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व, विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर एवं वन प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जॉच से 2736 मामलों में 2366.27 करोड़ रूपये के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि के मामले प्रकाश में आये। वर्ष 1999–2000 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 914 मामलों में 12.91 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किए जिसमें से 4.11 करोड़ रूपये के 99 मामले वर्ष 1999–2000 की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो में इंगित किये गये थे।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित 35 प्रस्तर तथा 4 समीक्षायें हैं जिसमें 1978.22 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। विभाग/सरकार ने 8 मामलों में 1.18 करोड़ रूपये की सन्निहित धनराशि को स्वीकार कर लिया है जिसमें से अगस्त

2000 तक 0.11 करोड़ रूपये की वसूली कर ली गयी थी अवशेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2000)।

1.7 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, करों, अभिकरों, शुल्क आदि के कम आरोपण पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ ही साथ लेखा परीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पायी गयी कमियों, जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका, को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है। अतिमहत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 1999 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या, जिनका निस्तारण 30 जून, 2000 तक विभागों द्वारा लम्बित था, साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ें नीचे दिये गये है:

(जून माह के अन्त तक)

	1998	1999	2000
1. अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	4733	6429	7300
2. अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	11147	14565	14709
3. निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	391.84	1648.51	1828.98

30 जून 2000 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभाग वार विभाजन नीचे दिया गया है:

प्राप्तियों की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष जिससे आपत्तियाँ सम्बन्धित है
1	2	3	4	5
1. वानिकी एवं वन्य जीवन	1113	2212	1470.55	1977-78 से 1999-2000
2. व्यापार कर	1733	4675	175.07	1989-90 से 1999-2000
3. सिंचाई	235	429	22.53	1984-85 से 1999-2000

1	2	3	4	5
4. राज्य आबकारी	572	807	29.95	1984-85 से 1999-2000
5. भू–राजस्व	901	1488	28.41	1984-85 से 1999-2000
6. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	752	1511	18.89	1984-85 से 1999-2000
7. लोक निर्माण	235	636	15.30	1985-86 से 1999-2000
8. गन्ने के क्रय पर कर	103	115	12.49	1985-86 से 1999-2000
9. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1061	2015	16.51	1984-85 से 1999-2000
10. अन्य विभाग				
(क) कृषि	113	209	10.56	1989-90 से 1999-2000
(ख) विद्युत शुल्क	276	330	12.63	1985-86 से 1999-2000
(ग) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	38	59	0.25	1991-92 से 1999-2000
(घ) सहकारिता	91	113	12.26	1985-86 से 1999-2000
(ड.) मनोरंजन	77	110	3.59	1986-87 से 1999-2000
योग	**7300**	**14709**	**1828.99**	

इसे सरकार के संज्ञान (अप्रैल 2000 और अगस्त 2000) में लाया गया था। अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 2000)।

अध्याय–2: व्यापार कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999-2000 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जॉच में 1374 मामलों में 20271.45 लाख रूपये के कम करारोपण तथा अर्थदण्ड एवं ब्याज के अनारोपण तथा कम आरोपण एवं कर की अनियमित छूट आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण	472	458.11
2.	अनियमित छूट	222	8669.42
3.	अतिरिक्त कर का अनारोपण	96	876.11
4.	कर की गलत दर	301	4768.84
5.	माल का गलत वर्गीकरण	47	2744.04
6.	आवर्त्त (टर्नओवर) पर कर लगने से छूट जाना	05	67.37
7.	केन्द्रीय बिक्री से सम्बन्धित अनियमिततायें	44	126.82
8.	कर का कम लगाया जाना	40	27.52
9.	अन्य अनियमिततायें	146	262.37
10.	'उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 4 ख के अन्तर्गत निर्माताओं को विशेष छूट' पर समीक्षा	01	2270.85
	योग	**1374**	**20271.45**

वर्ष 1999–2000 के दौरान विभाग ने 490 मामलों में 268.15 लाख रूपये कर कम लगाया जाना स्वीकार किया है, जिसमें 57 मामले, जिनकी आच्छादित धनराशि 123.03 लाख रूपये रही, वर्ष 1999–2000 के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। इनमें से 72 मामलों में निहित 10.76 लाख रूपये की वसूली मार्च 2000 तक हो चुकी थी।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4ख के अन्तर्गत, निर्माताओं को विशेष छूट विषयक एक समीक्षा सहित कुछ निदर्शी मामले, जिसमें 127.94 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं:

2.2 'उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 4-ख के अन्तर्गत निर्माताओं को विशेष छूट'

मुख्य अंश

(i) 4 वृत्तों में 4 इकाइयों को ऐसी वस्तुओं के लिये, जो विज्ञापित नहीं थी, मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप 47.27 लाख रूपये की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.2.6(क))

(ii) 12 वृत्तों की 13 इकाइयों द्वारा घोषणापत्रों के दुरूपयोग के फलस्वरूप 1.38 करोड़ रूपये के कर का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.2.7)

(iii) कच्चे माल के दुरूपयोग के लिये अर्थदण्ड के अनारोपण के फलस्वरूप 83.88 लाख रूपये राजस्व की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.2.10(क))

(iv) माल के अनाधिकृत निस्तारण के लिये अर्थदण्ड के अनारोपण के फलस्वरूप 98.50 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.2.10 (ख))

(v) मिथ्या घोषणा दिये जाने के लिये अर्थदण्ड के अनारोपण के फलस्वरूप 6.33 करोड़ रूपये की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.2.10(ग))

2.2.1 प्रस्तावना

कुछ निर्माताओं को विशेष छूट दिए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-बी के अन्तर्गत कर प्रोत्साहन योजना को लागू किया। योजना में, विभाग द्वारा निर्गत मान्यता प्रमाण पत्र धारक व्यापारी को कई प्रोत्साहन तथा कर में छूट, जिसमें निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले माल की खरीद या बिक्री पर कर की दरों में पूर्ण कर मुक्ति या रियायती दर सम्मिलित थी, प्रदान की गयी।

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

व्यापार कर विभाग का संपूर्ण नियंत्रण, निर्देशन एवं अधीक्षण का अधिकार कमिश्नर व्यापार कर में निहित है जिसका मुख्यालय लखनऊ है। कमिश्नर की सहायता, एडिशनल कमिश्नरों, डिप्टी

कमिश्नरों, असिस्टेन्ट कमिश्नरों, तथा व्यापार कर अधिकारियों द्वारा की जाती है। राज्य को, डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) के अधीन, 39 प्रशासनिक परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। परिक्षेत्र को पुनः वृत्त एवं खंडों में विभाजित किया गया है जो क्रमशः असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) एवं व्यापार कर अधिकारी श्रेणी I/II के प्रभार में है।

2.2.3 वैधानिक प्रावधान

व्यापार कर का आरोपण एवं धन संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमावली से विनियमित होता है:

(1) उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948 (जिसे यहाँ अधिनियम कहा गया है)

(2) उ0 प्र0 व्यापार कर नियमावली 1948 (जिसे यहाँ नियमावली कहा गया है)

(3) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956
तथा समय–समय पर दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत जारी विज्ञप्तियों के अनुसार।

2.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों तथा राज्य सरकार एवं कमिश्नर व्यापार कर द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार निर्माताओं को विशेष छूट स्वीकृत की गई है, 39 प्रशासकीय परिक्षेत्रों में से 16 परिक्षेत्रों[2] के कर निर्धारण अभिलेखों एवं 1994–95 से 1997–98 के बीच पारित कर निर्धारण मामलों की नमूना जांच अक्टूबर 1999 से मार्च 2000 के बीच की गई। 1 सितम्बर 1987 से 31 मई 1994 की प्रोत्साहन योजना के मामले, जिनका कर निर्धारण 1994–95 के पहले किया गया था, उनकी भी नमूना जांच की गई।

2.2.5 योजना की महत्वपूर्ण बातें

1994 के पूर्व की योजना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4–बी सपठित विज्ञप्ति दिनांक 29 अगस्त 1987 द्वारा प्रावधानित है कि:

(i) विज्ञप्ति में वर्णित विज्ञापित वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल पर कर से करमुक्ति।

(ii) विज्ञापित वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल, मशीनरी, संयंत्र साज सामान, अतिरिक्त घटक, प्रसंस्करण माल, ईंधन या स्नेहक आदि के सम्बन्ध में कर की रियायती दर (2 से 4 प्रतिशत)।

---

2 इलाहाबाद, बुलन्दशहर, गाजियाबाद (2), कानपुर (3), काशीपुर, लखनऊ (2), मेरठ (2), मुरादाबाद (2), नोएडा तथा सहारनपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	असि0 कमि0 (क0नि0)–1 मुरादाबाद	1994-95 एवं 1995-96	क्राफ्ट पेपर	30.40	1.52	1.62	3.14
5.	असि0 कमि0 (क0नि0)–7 नोएडा	1994-95 एवं 1996-97	पेपर	69.60	3.48	3.45	6.93
6.	असि0 कमि0 (क0नि0)–4 लखनऊ	1996-97	ह्यूम पाइप	197.00	14.78	10.05	24.83
7.	असि0 कमि0 (क0नि0)–1 इलाहाबाद	1995-96 से 1996-97	टरवाइन/ट्रान्सफार्मर/ स्टील	1464.65	33.17	33.71	66.88
8.	असि0 कमि0 (क0नि0)–1 सहारनपुर	1994-95 से 1996-97	बिजली के सामान, वेल्डिंग मैटीरियल, पेन्ट्स, ब्वायलर टेम्प0 कन्ट्रोल एवं ब्वायलर सह सामान	26.75	2.01	1.94	3.95
9.	असि0 कमि0 (क0नि0)–2 सहारनपुर	1995-96 से 1997-98	बुशिंग मेटल पार्ट्स, हार्डवेयर एवं अलुमिनियम वायर	23.60	1.77	1.23	3.00
10.	असि0 कमि0 (क0नि0) सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर)	1992-93 से 1993-94	पाइप	648.25	25.93	45.11	71.04
11.	असि0 कमि0 (क0नि0)–19 कानपुर	1996-97	बिजली के सामान, पेन्ट्स, थिनर	6.14	0.59	0.60	1.19
12.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1 मुजफ्फरनगर	1993-94 से 1995-96	क्राफ्ट पेपर	22.84	1.14	1.40	2.54
		योग		**4348.54**	**138.46**	**139.88**	**278.34**

2.2.8 प्रपत्रों का सत्यापन न किये जाने के कारण टर्नओवर का छिपाया जाना

अधिनियम के अन्तर्गत, यदि किसी व्यापारी ने अपने टर्नओवर के विवरण को छिपाया है अथवा ऐसे टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण विवरण को जान–बूझकर दाखिल किया है, तो कर निर्धारण अधिकारी, समुचित जाँच के उपरान्त, कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में बचाये गये कर की धनराशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक की धनराशि के भुगतान हेतु व्यापारी को निर्देशित कर सकता है।

व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–1, नोयडा की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि व्यापारियों ने कर निर्धारण वर्ष 1994–95 से सम्बन्धित 107.93 लाख रूपये के टर्नओवर के ऐसे विवरण को छिपाया अथवा टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण विवरण को दाखिल किया।

दो[3] व्यापारियों के अभिलेखों की प्रति–सत्यापन (क्रास बेरीफिकेशन) लेखा परीक्षा के दौरान टर्नओवर का छुपाया जाना प्रकाश में आया। विभाग ने न तो 18.31 लाख रूपये का कर आरोपित किया और न ही 9.15 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया।

2.2.9 कर का अनारोपण

यदि कोई व्यापारी जो उपभोक्ता के बिन्दु पर कर योग्य वस्तुओं की खरीद प्रपत्र 3–क के विरूद्ध करता है और उसकी बिक्री उसी रूप एवं दशा में नहीं करता है तो वह उक्त खरीद पर कर के भुगतान का देनदार होगा।

माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है (1997)[4] कि कच्चा चमड़ा तथा खालें, पके चमड़े तथा खालों से भिन्न वस्तुयें हैं। तदनुसार यदि मान्यता प्रमाण-पत्र धारक व्यापारी कच्ची खालें खरीद कर उसका प्रयोग पकी खालों के निर्माण में करता है तो वह 31 मई 1994 तक 4 प्रतिशत एवं इसके बाद 2 प्रतिशत की दर से कर का देनदार होगा।

6 व्यापार कर मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि मान्यता प्रमाण–पत्र धारक 32 व्यापारियों ने 47050.17 लाख रूपये की कच्ची खाले या तो अपंजीकृत व्यापारियों से अथवा फार्म 3क जारी करके खरीदी और उसका प्रयोग पके चमड़े के निर्माण में किया। इस लिए व्यापारियों पर 1186.78 लाख रूपये कर आरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, 2 प्रतिशत की दर से 1510.73 लाख रूपये ब्याज भी प्रभार्य था। विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	खरीदे गये कच्चे खाल की कीमत	आरोपणीय कर	ब्याज	योग
1.	असि0 कमि0 (क0नि0)–17 कानपुर	1992-93 से 1997-98	31089.66	820.96	1078.04	1899.00
2.	असि0 कमि0 (क0नि0)–14 कानपुर	1992-93 से 1997-98	5198.15	118.35	131.38	249.73
3.	असि0 कमि0 (क0नि0)–16 कानपुर	1991-92 से 1997-98	4218.77	98.61	131.19	229.80
4.	असि0 कमि0 (क0नि0)–12 कानपुर	1993-94 से 1997-98	3675.98	87.05	104.41	191.46
5.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–15, कानपुर	1994-95 से 1996-97	350.33	7.00	7.14	14.14
6.	असि0 कमि0 (क0नि0)–10 कानपुर	1993-94 से 1997-98	2517.28	54.81	58.57	113.38
	योग		**47050.17**	**1186.78**	**1510.73**	**2697.51**

इसे इंगित करने पर विभाग ने कहा (फरवरी 2000) कि कच्ची खालें तथा पकी खालें एक ही वस्तुयें हैं। माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में विभाग का उत्तर मान्य नहीं है।

3 सेल गाजियाबाद तथा यू0पी0एस0आई0सी0 कानपुर

4 टी0वी0एल0 के ए0के0 अनवर एण्ड कम्पनी आदि बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु (एस0टी0आई0– 1998– एस0सी0–1)

2.2.10 अर्थदण्ड का अनारोपण

(क) कच्चे माल का दुरूपयोग

अधिनियम के अन्तर्गत, जिस उद्देश्य हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है उससे भिन्न कच्चे माल का प्रयोग करने अथवा अन्यथा निस्तारण करने पर व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि के भुगतान का दायी होगा जो उसके द्वारा प्राप्त कर राहत की धनराशि से कम न होगी तथा उस राशि के तीन गुने से अधिक न होगी।

5 व्यापार कर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विज्ञापित माल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र धारक व्यापारियों ने 2114.64 लाख रूपये मूल्य का कच्चा माल करमुक्त/कर की रियायती दर पर खरीदा और भिन्न प्रयोजन हेतु प्रयोग किया। इसलिए व्यापारी नीचे दिए गए विवरणानुसार 83.88 लाख रूपये के अर्थदण्ड के दायी थे:

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वर्ष	निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र धारक	खरीद/बिक्री किए गए कच्चे माल कानाम	कर मुक्त अथवा रियायती दर पर	माल का मूल्य	भिन्न प्रयोग/उसी दशा में बिक्री	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–7 इलाहाबाद	1993-94 से 1994-95	वायर	वायर राड	करमुक्त/ रियायती	1524.21	उसी दशा में	38.94
2.	असि0 कमि0 (क0नि0)–14 कानपुर	1994-95 से 1996-97	एच0डी0पी0ई0 ओवेन सैक्स	एच0डी0पी0ई ग्रेन्यूल्स	रियायती	430.69	भिन्न प्रयोग	32.30
3.	असि0 कमि0 (क0नि0)–4 गाजियाबाद	1991-92	स्टील रोलिंग	बिलेट एवं ब्लूम	करमुक्त	37.04	भिन्न प्रयोग	4.45
4.	असि0 कमि0 (क0नि0)–7 नोएडा	1993-94 से 1996-97	मेन्थाल, प्रसाधन की वस्तुएं	कारूगेटेड बाक्सेज, प्लास्टिक पाउडर एवं केमिकल्स	करमुक्त/ रियायती	24.13	भिन्न प्रयोग	2.04
5.	असि0 कमि0 (क0नि0)–7 नोएडा	1994-95 से 1996-97	कारूगेटेड रोल्स एवं पैकिंग बाक्सेज	क्राफ्ट पेपर, गम पाउडर एवं गमटेप	रियायती	57.12	भिन्न प्रयोग	3.04
6.	असि0 कमि0 (क0नि0)–11 लखनऊ	1996-97	ट्रान्सफार्मर की मरम्मत	पेन्ट्स, एल्मुनियम बायर एवं फिटिंग्स	रियायती	41.45	भिन्न प्रयोग	3.11
	योग					**2114.64**		**83.88**

(ख) माल की अनाधिकृत बिक्री

अधिनियम के अन्तर्गत, कर की रियायती दर का भुगतान करके यदि व्यापारी द्वारा खरीदे गए किसी माल एवं इस कच्चे माल से निर्मित माल अथवा निर्मित माल का प्रसंस्करण, ऐसे पैकिंग सामग्री में पैकिंग करने के बाद प्रान्त में बिक्री या प्रान्त बाहर या भारत के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री से अन्यथा इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे व्यापारी पर उसके द्वारा प्राप्त कर में राहत की धनराशि, अर्थदण्ड के रूप में देय होगी।

3 व्यापार कर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि विज्ञापित माल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र धारक तीन व्यापारियों द्वारा 1995–96 एवं 1996–97 की अवधि के मध्य, घोषणा प्रपत्र 3–ख से समर्थित रियायती दर पर, 1010.89 लाख रूपये मूल्य का कच्चा माल खरीदा गया और निर्मित माल को प्रान्त अन्दर/बाहर शाखाओं को कन्साइन्मेन्ट आधार पर स्थानान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार व्यापारी 98.50 लाख रूपये अर्थदण्ड के देनदार थे। विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	मण्डल का नाम	वर्ष	निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र धारक	3–ख के विरूद्ध खरीदे गए वस्तु का नाम	खरीदी गयी वस्तुओं का मूल्य	स्थानान्तरित निर्मित माल का मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1 मुजफ्फनगर	1995-96	बेस फिल्टर पेपर	कन्जूमेविल स्टोर पैकिंग सामग्री	13.25	169.44	16.94
2.	असि0 कमि0 (क0नि0)–8 गाजियाबाद	1996-97	आयरन स्टील	इंगट, बूम, स्लैव	746.34	1870.34	37.41
3.	असि0 कमि0 (क0नि0) सिकन्दराबाद (बुलन्दाशहर)	1995-96 से 1996-97	सुगर, शीरा एवं बैगास	लाइम, थ्रेड, पम्प कैस्ट्रोल, बिट्मिन आयल, आयल एवं ग्रीस, एवोपोरेशन बॉडी	251.30	441.49	44.15
	योग				**1010.89**	**2481.27**	**98.50**

(ग) मिथ्या घोषणा या प्रमाण–पत्र

अधिनियम के अन्तर्गत, यदि कोई व्यापारी मिथ्या प्रमाण–पत्र या घोषणा पत्र निर्गत अथवा दाखिल किया है, जिसके कारण खरीद या बिक्री पर कर आरोपणीय नही होता है तो वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में बचाये गये कर की धनराशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं और 200 प्रतिशत से अनधिक की धनराशि का देनदार होगा।

19 व्यापार कर मण्डलों में यह देखा गया कि 46 व्यापारियों ने मिथ्या प्रमाण–पत्र या घोषणा प्रपत्र निर्गत या दाखिल किया जिसके कारण कर निर्धारण वर्ष 1991–92 से 1997–98 से सम्बद्ध

खरीद या बिक्री पर 1266.24 लाख रूपये कर आरोपित होने से रह गया। इस प्रकार व्यापारी न्यूनतम 633.12 लाख रूपये अर्थदण्ड के दायी थे जो कि आरोपित नहीं किया गया।

2.2.11 अन्य रोचक मामले

अधिनियम की धारा 4ख सपठित शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 21 मई 1994, एक मान्यता प्रमाण–पत्र धारक व्यापारी द्वारा निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल की खरीद अथवा बिक्री पर, कर में विशेष छूट का प्रावधान करती है। माल की बिक्री पर, करमुक्ति की सुविधा एक पात्रता प्रमाण पत्र धारक व्यापारी (नई इकाई) को भी अनुमन्य हैं।

असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–2 व्यापार कर कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बिस्कुट के निर्माण के लिए एक मान्यता प्रमाण–पत्र धारक व्यापारी (जनवरी 1992) को 30 नवम्बर 1991 से 29 नवम्बर 2001 तक की अवधि के लिये माल की बिक्री पर कर में छूट हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र भी (जुलाई 1994) जारी किया गया था। व्यापारी एक फर्म (सर्वश्री ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, गाजियाबाद) का जाब वर्क करने में संलग्न पाया गया जो निर्माता नहीं था। इस प्रकार 1992–93 से 1997–98 की अवधि के लिये छूट का हकदार नहीं था। इसके फलस्वरूप 59.58 लाख रूपये की अनियमित छूट प्रदान की गयी।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2000); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2000)।

2.3 माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, वस्तुओं पर उनके वर्गीकरण के आधार पर, जैसा कि दरों की अनुसूची में वर्णित है अलग–अलग दर से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, 1 अगस्त 1990 से 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी प्रभार्य है।

8 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1998 से दिसम्बर 1999 के मध्य) कि वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण, सही दर से करारोपण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 26.97 करोड़ रूपये कर कम आरोपित हुआ। विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	गलत वर्गीकरण की प्रकृति	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर	आरोपित कर की दर	कम आरोपित कर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–19 व्यापार कर कानपुर	1994-95 से 1996-97	विद्युत सामग्री को इलैक्ट्रानिक सामग्री मानकर	32.16	10%	5%	1.61
2	असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण)–व्यापार कर खटीमा (नैनीताल)	1996-97	आटोमेटिक बैचिग प्लांट को अवर्गीकृत के बजाय पुरानी एवं बहिष्कृत मशीनरी मानकर	47.50 (35.50) (12.00)	 (10%) (10%)	 (4%) (5%)	2.73 (2.13) (0.60)

1	2	3	4	5	6	7	8
3	असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण)–1 व्यापार कर, नोएडा	1995-96	परफ्यूमरी कम्पाउन्ड को, सेन्टस एवं परफ्यूम्स के बजाय अवर्गीकृत मानकर	41.05	15%	10%	2.05
4	असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण)–6 व्यापार कर, लखनऊ	1995-96	इलैक्ट्रोनिक वेइंग मशीन को मशीनरी के बजाय इलैक्ट्रोनिक वस्तु मानकर	44.22	7.5%	5%	1.11
5	असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण)–7 व्यापार कर, लखनऊ	1991-92 से 1993-94	रिवेट्स को हार्डवेयर के बजाय आयरन एवं स्टील मानकर	12.49	10%	4%	0.75
6	असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण)– व्यापार कर, भदोही	1997-98	मशीनरी को मशीनरी के बजाय पुराना एवं बहिष्कृत डिस्कार्टेड मानकर	22.25	7.5%	5%	0.56
7	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–5 मेरठ	1994-95 से 1996-97	ग्रीस, ब्रेक आयल गेयर आयल को[5] पेट्रोलियम आधारित आयल के स्थान पर लुब्रीकेन्ट्स मानकर	81.61	15%	10%	4.08
8.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) व्यापार कर, रामपुर	1992-93 से 1996-97	जीराक्स मशीन को आफिस मशीन के बजाय इलैक्ट्रोनिक वस्तु मानकर	29924.88	15% 9-10-95 तक एवं इसके बाद 7.5%	3.75% 30-9-94 तक एवं इसके बाद 5%	2609.24
	असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) व्यापार कर, रामपुर	1992-93 से 1996-97	फैक्स मशीन को आफिस मशीन के बजाय इलैक्ट्रोनिक वस्तु मानकर	635.58	15% 9-10-95 तक एवं इसके बाद 7.5%	10 % 30-9-94 तक एवं इसके बाद 5%	32.99
	असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) व्यापार कर, रामपुर	1994-95 से 1996-97	बोलटैज स्टैबलाइजर को विद्युत वस्तु के बजाय इलैक्ट्रोनिक वस्तु मानकर	533.46	10%	2.5% 9-10-95 तक एवं इसके बाद 2%	41.61
	योग			**31375.20**			**2696.73**

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1998 से मार्च 2000 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

2.4 गलत दर लगाये जाने के कारण कर का अवनिर्धारण

22 व्यापार कर कार्यालयों के लेखा परीक्षा (जनवरी 1998 से दिसम्बर 1999 के मध्य) के दौरान यह देखा गया कि 24 व्यापारियों के मामलों में निर्धारण करते समय कर की सही दरे नहीं लगाई

5 सी0एफ0आर0–सी0आर0–164/87–88 दिनांक 26–5–1987 (1988) एस.टी.सी. आर.आर. एवं सी. आर.–5 क्रम संख्या – 9 (के.ए.आर.)

गयी। जिसके परिणामस्वरूप 285.11 लाख रूपये कर कम आरोपित किया गया, जैसा नीचे दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर अतिरिक्त कर सहित (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर	कम आरोपित कर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–6 व्यापार कर, गाजियाबाद	1994-95 एवं 1995-96	परिशोधित सोयाबीन तेल	215.40	10	2.5	16.16
2	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–2 व्यापार कर, लखनऊ	1996-97	लाटरी टिकिट	16.20	25	2.5	3.65
3	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–5 व्यापार कर, कानपुर	1994-95 एवं 1995-96	आयुर्वेदिक दवाएं	60.55	10	7.5	1.51
4	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–6 व्यापार कर, कानपुर	1994-95 एवं 1995-96	जड़ी बूटी	45.85	10	7.5	1.15
5	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–3 व्यापार कर, वाराणसी	1994-95 एवं 1995-96	अल्म्यूनियम पाउडर	188.00	10	5	9.42
6	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–5 व्यापार कर, लखनऊ	1994-95	परिशोधित खाद्य तेल	9.17	10	2.5	0.69
7	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, अलमोड़ा	1995-96	आयुर्वेदिक दवाएं	38.48	10	7.5	0.96
8	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–1, आगरा	1993-94	परिशोधित काटन सीड आयल	9.17	10	2.5	0.69
9	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, खटीमा	1991-92	स्टील के दरवाजे	28.00	10	4	1.68
10	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–3 व्यापर कर, इलाहाबाद	1994-95	मासक्विटों रिपिलेन्ट	69.28	10	7.5	1.73
11	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, इटावा	1995-96	आयुर्वेदिक दवाएं	123.00	10	7.5	3.08
12	असिस्टैन्ट कमिश्नर (क0नि0)–11 व्यापार कर, गाजियाबाद	1996-97	परिशोधित खाद्य तेल	332.00	7.5% 26-8- 96 तक एवं इसके बाद 5%	शून्य	16.59

(लाख रुपये में)

1	2	3	4	5	6	7	8
13	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–11 व्यापार कर, गाजियाबाद	1994-95 एवं 1995-96	परिशोधित खाद्य तेल	722.56	10	2.5	54.19
14.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, देवरिया	1996-97	शीरा	61.01	15	2.5	7.63
15	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–2 व्यापार कर, कानपुर	1995-96	परिशोधित तेल	198.00	10	2.5	14.85
16	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–1 व्यापार कर,आगरा	1993-94 एवं 1994-95	परिशोधित सरसों तेल	15.95	10	2.5	1.20
17	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–1 व्यापार कर, लखनऊ	1996-97	मशीनरी	67.54	7.5	6.25	0.84
18	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–6 व्यापार कर, लखनऊ	1994-95 एवं 1996-97	फोटो कापीयर्स एवं फैक्स मशीन	429.00	15% 9-10-95 तक एवं इसके बाद 7.5 %	3.75% 30-9-94 तक एवं 1-10-94 से 31.3.95 तक 5%	17.84
19	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–8 व्यापार कर, लखनऊ	1994-95	कम्प्यूटर्स	230.00	15	7.5	17.25
20	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–6 व्यापार कर, लखनऊ	1994-95 एवं 1996-97	लिक्विड स्किम्ड मिल्क	4479.00	10	7.5	112.00
21	व्यापार कर अधिकारी, नैनीताल	1996-97	घड़ियों का स्क्रैप	38.65	5	2.5	0.97
22	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, अमरोहा	1994-95 एवं 1996-97	आयुर्वेदिक दवाएं	41.14	10	7.5	1.03
	योग			**2417.95**			**285.11**

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (मार्च 1998 से मार्च 2000 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

2.5 केन्द्रीय बिक्रीकर का अनारोपण/कम आरोपण

(क) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्र 'सी' अथवा 'डी' से अनाच्छादित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा ऐसी वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर राज्य के अन्दर लागू दर जो भी अधिक हो, की दर से कर आरोपणीय है।

3 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा (नवम्बर 1998 से जुलाई 1999 के मध्य) के दौरान यह देखा गया कि प्रपत्र 'सी' अथवा 'डी' से अनाच्छादित अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर गलत दर से कर

आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 416.12 लाख रूपये कर कम आरोपित हुआ। विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–2 व्यापार कर, लखनऊ	1996-97	लाटरी टिकिट्स	484.00	25	2.5	109.00
2	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–5 व्यापार कर, कानपुर	1996-97	यूरिया	4458.00	10	4	267.00
3	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–6 व्यापार कर, लखनऊ	1996-97	फैक्स मशीन	502.00	10	2	40.12
	योग			**5444.00**			**416.12**

लेखा परीक्षा में इंगित करने पर (नवम्बर 1998 से जुलाई 1999 के मध्य), विभाग ने एक मामले में 109.00 लाख रूपये की माँग सृजित कर दिया। आगे अवशेष अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (मार्च 1999 से सितम्बर 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 7 सितम्बर 1981 से 31 मार्च 1996 के मध्य की अवधि में भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (आई0एम0एफ0एल0) की बिक्री पर 32.5 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की दर से कर आरोपणीय था।

असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) व्यापार कर खतौली (मुजफ्फरनगर) की लेखा परीक्षा (नवम्बर 1998) के दौरान देखा गया कि एक व्यापारी ने दिल्ली के चार थोक व्यापारियों को आई0एम0एफ0एल0 बेचने का ठेका लिया। वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 के दौरान 1.04 करोड़ रूपये मूल्य की आई0एम0एफ0एल0 सीधे व्यापारी की फैक्ट्री मन्सूर पुर (मुजफ्फरनगर) से आपूर्ति की गई। चूंकि आई0एम0एफ0एल0, का मन्सूर पुर से दिल्ली, एक बिक्री के समझौते के तहत संव्यवहार हुआ था, अतः संव्यवहार अन्तर्प्रान्तीय बिक्री का था जिस पर 33.81 लाख रूपये कर आरोपणीय था जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने स्टाक ट्रान्सफर मानते हुये कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 33.81 लाख रूपये कर कम आरोपित हुआ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

2.6 टर्नओवर के छूट जाने के कारण कर का अवनिर्धारण

प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत सीमेन्ट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। न्यायिक रूप से यह निर्णीत[6] है कि फारवर्डिंग चार्जेज (फ्रेट चार्जेज) टर्नओवर का भाग है भले ही इस तरह के चार्जेज बिक्री के बिलों में अलग से प्रदर्शित हों।

6 डायर मीकिन ब्रेवरीज लिमिटेड बनाम स्टेट आफ केरल (1970)–26 एस0टी0सी0–248 (एस0सी0)–5 एस0सी0एस0टी0।

असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) व्यापार कर फतेहपुर की लेखा परीक्षा (अक्टूबर 1999) के दौरान देखा गया कि वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 में एक व्यापारी के टर्नओवर को 4.11 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया और 12.5 प्रतिशत की दर से उस पर कर आरोपित किया गया। व्यापारी के बिक्री के टर्नओवर को निर्धारित करने में 67.77 लाख रूपये फारवर्डिंग चार्जेज नहीं जोड़ा गया जिसके परिणामस्वरूप 8.47 लाख रूपये कर आरोपित नहीं हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

2.7 कर की गलत करमुक्ति/रियायत

(क) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में दी गई दरों की सूची/कमिश्नर व्यापार कर द्वारा जारी स्पष्टीकरणों के अनुसार, वस्तुओं पर कर लगाया जायगा। इसके अलावा 1 अगस्त 1990 से कर का 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर भी देय है।

16 व्यापार कार्यालयों की लेखा परीक्षा (जून 1998 से अप्रैल 2000 के मध्य) के दौरान यह देखा गया कि नीचे दिये गये विवरणानुसार कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा गलत छूट प्रदान करने के परिणामस्वरूप 957.49 लाख रूपये की गलत छूट दी गई।

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष/छूट की अवधि	बेची गई वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	कम करारोपण	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7
1	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–2 व्यापार कर, कानपुर	1996-97	स्किम्ड लिक्विड मिल्क	61.24	6.12	कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1996 में स्पष्ट किया गया है कि स्किम्ड मिल्क पाउडर से बनाया गया तरल दूध साधारण दूध से भिन्न है लेकिन उसे दूध मानकर कर मुक्त कर दिया गया है।
2	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–2 व्यापार कर, गाजियाबाद	1994-95	तदैव	149.20	14.92	
3	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–2 व्यापार कर, गाजियाबाद	1995-96	तदैव	330.00	33.00	
4	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–6 व्यापार कर, कानपुर	1996-97	तदैव	1585.00	158.50	
5	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–I मथुरा	1996-97	तदैव	117.00	11.68	
6	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–3 व्यापार कर, मेरठ	1997-98	तदैव	4656.00	466.00	
7	व्यापार कर अधिकारी, अलमोड़ा	1997-98	तदैव	250.44	25.04	

(लाख रुपये में)

1	2	3	4	5	6	7
8	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2, काशीपुर	1994-95 से 1996-97	चिक्स	19.87	1.99	कर मुक्ति की सुविधा उस एक व्यक्ति को अनुमन्य है जो उसके द्वारा रखी गई मुर्गियों से प्राप्त पोल्ट्री उत्पाद की बिक्री करता है जबकि यह सुविधा यहां व्यापारियों को दी गई है।
9	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)– । व्यापार कर, गोरखपुर	1994-95 से 1996-97	चिक्स	725.81	72.58	
10	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–4, देहरादून दो व्यापारी) (1) वेनको रिसर्च (2) यू0पी0 हेचरीज	1996-97	चिक्स	261.00	26.10	
11	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1, मथुरा	1993-94 से 1994-95	कास्टिक सोडा हाईड्रोक्लोरिक एसडि व क्लोरीन	138.54	13.85	अन्तर्प्रान्तीय बिक्री को ट्रान्सफर आफ डाकूमेण्टस मानकर करमुक्ति प्रदान की गई।
12	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, मोदीनगर (गाजियाबाद)	1995-96	ब्रोकन ग्लास	156.03	7.80	अपंजीकृत से खरीदे गये ब्रोकेन ग्लास की बिक्री को कर मुक्त माना गया
13	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)– । व्यापार कर, इलाहाबाद	1993-94 से 1995-96	लैटेक्सट फोम	41.26	6.16	लैटेक्सट फोम का निर्माण एवं बिक्री पात्रता प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं है।
14	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)– । व्यापार कर, गाजियाबाद	1993-94 एवं 1996-97	पी वी सी पाइप्स	2132.82	106.64	21 अगस्त 1993 से सुविधा समाप्त कर देने के बावजूद भी कर मुक्ति प्रदान की गयी।
15	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–3 व्यापार कर, वाराणसी	1994-95	आयात अनुज्ञापत्र	49.86	4.99	कर मुक्त वस्तु माना गया
16	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–10, आगरा	1995-96 से 1996-97	तदैव	26.21	2.62	
	योग			**10700.28**	**957.49**	

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जुलाई 1999 से जून 2000 के मध्य); उसके बाद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2000)।

(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 ए तथा इसके साथ पठित समय–समय पर जारी विज्ञप्तियों के अनुसार, नई यूनिट को केवल करयोग्य वस्तुओं के निर्माण पर ही करमुक्ति अथवा कर में छूट अनुमन्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह न्यायिक रूप से निर्णीत है[7] कि वह इकाई जो चीनी (करमुक्त) बनाने में संलग्न है, शीरा एवं बैगास (चीनी के सह उत्पाद) की करमुक्त बिक्री हेतु पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की हकदार नहीं है।

7 मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड नैनीताल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य सिविल अपील न0–2813 सन् 1989 सुप्रीम कोर्ट दिनांक 14–08–1997)

4 व्यापार कर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि चीनी (करमुक्त) निर्माण करने वाली 4 इकाइयों को चीनी, शीरा एवं बैगास की करमुक्त बिक्री हेतु पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया (मार्च 1993 एवं जून 1996)। इसके परिणामस्वरूप 56.64 करोड़ रूपये की गलत करमुक्ति दी गयी जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	इकाई का नाम	कर मुक्ति की अवधि	अनुमन्य छूट	प्राप्त छूट
1	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)– व्यापार कर, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर)	मैसर्स विलार्ड इंडिया लिमिटेड, भदौरिया	11 जून 1994 से 10 जून 2005	37.02	29.79
2	व्यापार कर अधिकारी, नजीबाबाद	मैसर्स किसान सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड नजीबाबाद	8 अगस्त 1990 से 7 अगस्त 1998	15.57	1.31
3	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–19 व्यापार कर, कानपुर	मैसर्स शाकुम्भरी शुगर एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कानपुर	13 फरवरी 1996 से 12 फरवरी 2004	69.56	1.71
4	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, मवाना, मेरठ	मैसर्स सियाल लिमिटेड मवाना तितावी शुगर यूनिट	9 फरवरी 1993 से 8 फरवरी 2001	35.13	23.83
	योग			**157.28**	**56.64**

2.8 अतिरिक्त कर का अनारोपण

2 व्यापार कर कार्यालयों, (असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–6 व्यापार कर लखनऊ एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर हसनपुर (मुरादाबाद)) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1999 से नवम्बर 1999 के मध्य) कि 1993–94 से 1996–97 के मध्य 1495.00 लाख रूपये के टर्नओवर पर 53.50 लाख रूपये कर आरोपित किया गया लेकिन 13.37 लाख रूपये अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया।

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (सितम्बर 1999 से फरवरी 2000 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

2.9 ब्याज का अनारोपण

अधिनियम के अधीन, प्रत्येक व्यापारी, जिस पर कर देय है, अपने टर्नओवर के रिटर्न को निर्धारित अन्तरालों में दाखिल करेगा एवं देय कर की धनराशि को निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करेगा। व्यापारी द्वारा स्वीकृत देय कर का भुगतान यदि निश्चित अवधि तक नहीं किया गया है तो जमा न की गयी धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आरोपणीय है। स्वीकृत देय कर के अतिरिक्त ऐसे देय कर पर जो मांग पत्र की नोटिस में निर्धारित तीन माह की अवधि बीत जाने के बाद भी अदा नहीं की जाती है, डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आरोपणीय है।

व्यापारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर कर न जमा करने पर भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य है।

6[8] व्यापार कर कार्यालयों में यह देखा गया (अक्टूबर 1996 से दिसम्बर 1999 के मध्य) कि 23.19 लाख रूपये वर्ष 1992–93 से 1996–97 की अवधि के लिये 14 माह से 51 माह तक विलम्ब से जमा किया गया जिस पर 10 लाख रूपये ब्याज भी आरोपणीय था जो आरोपित नहीं किया गया।

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 1997 से फरवरी 2000 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2000)।

2.10 केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी किसी अन्य प्रान्त के व्यापारी से कोई माल रियायती दर पर प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करके तभी खरीद सकता है जब उक्त माल उसके पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लिखित हो। पंजीयन प्रमाण पत्र से अनाच्छादित माल के क्रय हेतु प्रपत्र 'सी' जारी करना एक अपराध है, जिसके लिये व्यापारी अभियोजन का पात्र है। पंजीयन प्रदान करने वाला अधिकारी, इस अभियोजन के बदले, उस माल की बिक्री पर आरोपणीय कर के अधिकतम डेढ़ गुना तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

10 व्यापार कर कार्यालयों[9] की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1996 से जनवरी 2000 के मध्य) कि 10 व्यापारियों द्वारा वर्ष 1991–92 से 1996–97 की अवधि में घोषणा प्रपत्र 'सी' के विरूद्ध 740.51 लाख रूपये मूल्य के ऐसे सामानों की खरीद की गयी जो उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं थे। अतएव वे 126.20 लाख रूपये अर्थदण्ड के भुगतान के उत्तरदायी थे जो आरोपित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 1996 से जनवरी 2000 के मध्य) कि मार्च 1998 से मार्च 1999 के मध्य 7 मामलों में 9.34 लाख रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है। वसूली एवं बकाया मामलों के सम्बन्ध में सूचना तथा उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1996 एवं जून 2000 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

---

8 असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, अम्बेडकर नगर, असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, खटीमा, असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर, लखनऊ, असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–9 व्यापार कर, लखनऊ, व्यापार कर अधिकारी खण्ड–12 लखनऊ, असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–4 व्यापार कर, नोएडा।

9 व्यापर कर अधिकारी खण्ड–II, आगरा, असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –12, व्यापार कर, आगरा व्यापार कर अधिकारी खण्ड–I, इलाहाबाद, व्यापार कर अधिकारी, भर्थना (इटावा), व्यापार कर, अधिकारी, खण्ड–2, फैजाबाद, असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, जी0बी0 नगर, व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2, हल्द्वानी, असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–16 व्यापार कर, कानपुर, असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–18 व्यापार कर, कानपुर एवं व्यापार कर अधिकारी खण्ड–I, मुजफ्फरनगर।

2.11 गणना के त्रुटि के कारण कर का अवनिर्धारण

4 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान गणना की त्रुटियों के मामले प्रकाश में आये जिसके परिणामस्वरूप 28.80 लाख रूपये कर का अवनिर्धारण हुआ। विवरण नीचे सारिणी में दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर	आरोपित कर	कम आरोपित कर
1	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)– व्यापार कर, राबर्ट्सगंज (सोनभद्र)	1994-95	494.15	49.01	26.29	22.72
2	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–I, झाँसी	1988-89	22.50	2.48	0.99	1.49
3	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)– I व्यापार कर लखनऊ	1990-91	407.00	50.91	48.07	2.84
4	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–10, व्यापार कर, गाजियाबाद	1996-97	13.98	1.75	शून्य	1.75
	योग		**937.63**	**104.15**	**75.35**	**28.80**

लेखा परीक्षा में इंगित करने पर (नवम्बर 1997 से दिसम्बर 1999 के मध्य) विभाग ने ऊपर क्रमांक 2 एवं 3 पर अंकित मामलों की गलती में सुधार कर दिया है एवं 4.33 लाख रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी है। बकाया मामलों में वसूली की सूचना एवं कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 1998 से फरवरी 2000 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

2.12 निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण राजस्व की हानि

प्रत्येक व्यापारी जिस पर व्यापार कर देय है, से अपेक्षित है कि कर निर्धारण अधिकारी से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करे। पंजीयन प्रमाण पत्र देने के पहले, कर निर्धारण अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह व्यापारी के पहचान जीविका का साधन, वित्तीय स्थिति एवं उसके स्थानीय तथा स्थायी पता की जॉच करें। पंजीयन प्रमाण पत्र देने के पहले, राजस्व की सुरक्षा हेतु, व्यापारी से प्रतिभूति एवं अतिरिक्त प्रतिभूति भी लेना होगा। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम में भी व्यापारी को पंजीयन देने हेतु यही प्रक्रिया लागू है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के अनुसार व्यापारी को नये प्रपत्रों को तभी निर्गत किया जायेगा जब वह पूर्व में निर्गत सभी प्रपत्रों के लेखा प्रस्तुत कर दे।

व्यापार कर अधिकारी खण्ड–I मैनपुरी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1999) कि एक व्यापारी[10] को कॉच की चूड़ियों एवं हस्त निर्मित शीशियों के निर्माण एवं बिक्री हेतु

10 मेसर्स बेबी ग्लास इण्डस्ट्रीज, कोसमा, मैनपुरी

निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना दिनांक 18 मार्च 1994 से प्रभावी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया। व्यापारी ने बड़ी संख्या में विधिक प्रपत्र (30 प्रपत्र XXXI, 15 प्रपत्र 'सी' एवं 27 प्रपत्र 3–ख) अप्रैल से अक्टूबर 1994 के मध्य विभिन्न तिथियों में प्राप्त किये एवं वर्ष 1994–95 में 5 करोड़ रूपये तक का कारोबार किया और करमुक्त/रियायती दर का लाभ लिया। रोचक बिन्दु यह प्रकाश में आया कि व्यापारी को 5 जुलाई 1994 को पूर्ण करमुक्ति के 15 प्रपत्र जारी किये गये जबकि पूर्ण करमुक्ति की योजना 1 जून 1994 से वापस ले ली गयी थी।

व्यापार कर अधिकारी, एस0आई0बी0, अलीगढ़ द्वारा बताये जाने पर (जुलाई 1996) कि दिये गये पते पर व्यापार नहीं हो रहा है, विभाग ने व्यापारी पर वर्ष 1994–95 में 51.60 लाख रूपये कर एवं 70.57 लाख रूपये का अर्थदण्ड निर्धारित कर दिया। व्यापारी को निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि विभाग को जो पता मालूम था वह फर्जी था। पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के कारण एवं अंधा–धुंध तरीके से घोषणा प्रपत्रों को जारी करने के पहले उनके प्रयोग का सत्यापन न करने के परिणामस्वरूप 142.17 लाख रूपये की राजस्व हानि हुयी।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

2.13 परेषण बिक्री/ब्रांच ट्रान्सफर का प्रति सत्यापन

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 6–ए के अनुसार जहाँ कोई व्यापारी यह दावा करता है कि वह किसी माल के बाबत इस अधिनियम के अधीन कर देने का जिम्मेदार इस आधार पर नहीं हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य को ऐसे माल का संचलन उसके द्वारा, यथास्थिति उसके कारोबार के किसी अन्य स्थान को या उसके अभिकर्त्ता या मालिक को ऐसे माल के अन्तरण के कारण हुआ था न कि विक्रय के कारण हुआ, ऐसे माल के संचलन को साबित करने का भार व्यापारी पर होगा और इस प्रयोजन के लिये वह यथास्थिति परेषणी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा प्रपत्र 'एफ' प्राप्त करके कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर में छूट प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करेगा। आगे उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अनुसार यदि कोई व्यापारी जान बूझकर अपने टर्नओवर का मिथ्या विवरण प्रस्तुत किया है तो वह कर के अलावा, अर्थदण्ड के रूप में, कम से कम कर का 50 प्रतिशत किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक का देनदार होगा।

(क) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)–प्रथम, महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र के व्यापारियों द्वारा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को परेषण से सम्बन्धित कुछ 'एफ' प्रपत्रों के सत्यापन में पाया गया कि लखनऊ एवं गाजियाबाद के दो व्यापारियों ने वर्ष 1994–95 के दौरान फार्म 'एफ' के विरूद्ध प्रान्त बाहर से प्राप्त क्रमशः 32.12 लाख रूपये एवं 77.55 लाख रूपये मूल्य के लुब्रीकेन्ट एवं फेबीकोल को कम माल प्राप्ति मानते हुये बिक्री के टर्नओवर में कम दिखाया। जिसके परिणामस्वरूप 16.46 लाख रूपये का कम करारोपण हुआ जैसे अगले पृष्ठ पर दिखाया गया है:

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	माल	उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के नाम	महाराष्ट्र के व्यापारियों द्वारा ब्रान्च ट्रान्सफर की धनराशि	ब्रान्च ट्रान्सफर में ली गई धनराशि को दर्शाया	कम दर्शाया	कर प्रभाव	अर्थदण्ड	कुल कम करारोपण
1.	लुब्रीकेन्ट्स	मैसर्स केस्ट्राल इण्डिया लिमिटेड (लखनऊ)	38.68	6.56	32.12	3.21	1.61	4.82
2.	फेब्रीकोल	मैसर्स पिडीलाइट लिमिटेड (गाजियाबाद)	324.70	247.15	77.55	7.76	3.88	11.64
	योग		**363.38**	**253.71**	**109.67**	**10.97**	**5.49**	**16.46**

(ख) उत्तर प्रदेश के दो व्यापार कर मण्डलों के 4 व्यापारियों के अभिलेखों का महाराष्ट्र में उनके प्रिंसिपलों/अभिकर्त्ताओं कें अभिलेखों से प्रति सत्यापन में पाया गया कि 1992–93 एवं 1994–95 के मध्य घोषणा प्रपत्र 'एफ' के विरूद्ध 3295.24 लाख रूपये मूल्य का सामान अपने महाराष्ट्र के प्रिसिपलों/अभिकर्त्ताओं को ट्रान्सफर किया गया जिसके विरूद्ध 784.79 लाख रूपये का ही माल महाराष्ट्र के प्रिंसपलों/अभिकर्त्ताओं ने प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप 114.81 लाख रूपये अन्तर्निहित कर अर्थदण्ड को शामिल करते हुए स्टाक ट्रान्सफर को अधिक दिखाया गया जैसा नींचे दर्शाया गया है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	सामान	व्यापारी का नाम एवं वर्ष	उत्तर प्रदेश के व्यापारी द्वारा ब्रान्च ट्रान्सफर की धनराशि	महाराष्ट्र के कन्साइनी द्वारा दर्शायी गयी धनराशि	ब्रान्च ट्रान्सफर का अधिक दर्शाया जाना	अन्तर्निहित कर	आरोपणीय अर्थदण्ड	अन्तर्निहित कर (अर्थदण्ड सहित)
1	पान मसाला एवं गुटका	मैसर्स कोठारी प्रोडक्ट्स लि0, कानपुर, 1993–94	2157.66	2121.31	36.35	3.64	1.82	5.46
2	साबुन	मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लि0, गाजियाबाद 1993–94	555.88	—	555.88	55.59	27.79	83.38
		1994–95	26.43	—	26.43	2.64	1.32	3.96
3	वनस्पति	मैसर्स अमृत वनस्पति गाजियाबाद 1992–93	28.73	—	28.73	2.15	1.08	3.23
		1993–94	93.05	—	93.05	6.98	3.49	10.47
4	रिंग एवं पिस्टन	मैसर्स श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग कम्पनी लिमिटेड गाजियाबाद 1994–95	433.49	389.14	44.35	5.54	2.77	8.31
	योग		**3295.24**	**2510.45**	**784.79**	**76.54**	**38.27**	**114.81**

2.14 तरल ग्लूकोज की बिक्री पर कर का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अनुसार शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित अधिसूचित दरों पर कर देय है। जो वस्तु वर्गीकृत नहीं है उस पर 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, 1 अगस्त 1990 से देय कर पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर भी देय होगा। तरल ग्जूकोज वर्गीकृत वस्तुओं में शामिल नहीं है इस लिए इस पर 8 प्रतिशत की दर से कर देय है।

4 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1998 से जुलाई 1999 के मध्य) कि गलत वर्गीकरण के कारण तरल ग्लूकोज की बिक्री पर सही दर से कर आरोपित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 9.35 लाख रूपये कर कम आरोपित हुआ जैसा कि नीचे विवरण में दर्शाया गया है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	वर्ष	टर्न ओवर	कर की दर	आरोपित कर की दर	कम करारोपण
1	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–7 व्यापार कर,कानपुर	1995-96	48.32	10	4	2.90
2	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, हापुड़	1995-96 से 1996-97	69.27	10	7.5	1.73
3	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–3 व्यापार कर, आगरा	1997-98	61.92	10	7.5	1.55
4	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, हापुड़	1995-96 से 1996-97	53.64	10	7.5	1.34
5	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) व्यापार कर, हापुड़	1995-96	41.67	10	7.5	1.04
6	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–3 व्यापार कर, वाराणसी	1994-95	31.69	10	7.5	0.79
	योग		**306.51**			**9.35**

मामले शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किये गये (सितम्बर 1998 से अक्टूबर 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

अध्याय–3: राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999–2000 के दौरान की गयी लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में 783.66 लाख रूपये की धनराशि के शुल्क और फीस के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 117 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अतिशय मार्गस्थ/भण्डारण छीजन	15	155.46
2.	निर्यात पास फीस का कम आरोपण	02	20.43
3.	ब्याज का अनारोपण	14	53.13
4.	प्रशमन शुल्क/अर्थदण्ड का अनारोपण	25	444.66
5.	अन्य अनियमितताएँ	61	109.98
	योग	**117**	**783.66**

वर्ष 1999–2000 में विभाग ने 195.91 लाख रूपये के अवनिर्धारण आदि के 65 मामले स्वीकार किये जिसमें 133.56 लाख रूपये के 27 मामले वर्ष 1999–2000 में सम्प्रेक्षा के दौरान इंगित किये गये थे और शेष पूववर्ती वर्षो में। उदाहरणार्थ कुछ मामले जिसमें 6.13 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रभाव निहित है; अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं:

3.2 अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत एक लाइसेन्सधारी फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता (ठेकेदार) से शुल्क तथा अनुबन्धित मूल्य के भुगतान के पश्चात, स्पिरिट प्राप्त करने का हकदार है। यदि ठेकेदार जिलाधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर निर्देशित स्पिरिट की आपूर्ति करने में असफल रहता है तो स्पिरिट का मूल्य एवं उस पर सरकार को हुयी किसी प्रकार की हानि, ठेकेदार से वसूल की जायेगी। इसके साथ ही स्पिरिट की उस मात्रा पर, जिसकी मांग की गयी किन्तु आपूर्ति नहीं की जा सकी, आबकारी आयुक्त के विवेकानुसार, ठेकेदार 17.50 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर तक अर्थदण्ड का दायी होगा।

बंधित गोदाम (देशी स्पिरिट) मेरठ के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह देखा गया (फरवरी 2000) कि वर्ष 1998–99 और 1999–2000 (जनवरी 2000 तक) के लिए बंधित गोदाम को स्पिरिट आपूर्ति किए जाने हेतु ठेका मे0 दौराला आसवनी मेरठ को दिया गया था। लाइसेन्सधारी फुटकर विक्रेताओं द्वारा मांगी गयी 2806759.3 अल्कोहलिक लीटर स्पिरिट निश्चित किए गए समय के अन्दर आपूर्ति करने में यह आसवनी असफल रहीं। स्पिरिट की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति का प्रबन्ध जिलाधिकारी द्वारा अन्य आसवनी से किया गया। लेकिन 4.91 करोड़ रूपये का अधिकतम अर्थदण्ड के आरोपण तथा वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसे इंगित किए जाने पर बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी ने बताया (फरवरी 2000) कि जिला आबकारी अधिकारी मेरठ द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। आगे सूचना प्राप्त नहीं है (अगस्त 2000)।

प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2000); उनका उत्तर अप्राप्त है (अगस्त 2000)।

3.3 संशोधित दर के लागू न करने से कम कर का आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर स्पिरिट, डीजल और अल्कोहल के बिक्री कराधान अधिनियम 1994 के अन्तर्गत, 23 अप्रैल, 1994 से प्रभावी, मोटर स्पिरिट और डीजल तेल की राज्य में प्रथम बिक्री पर कर 10 और 12 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 14 और 16 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया।

जिला आबकारी कार्यालय लखनऊ के लेखा परीक्षा के दौरान (नवम्बर 1999) यह प्रकाश में आया कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच0पी0सी0एल0) द्वारा 23 अप्रैल 1994 से 9 मई, 1994 के बीच मोटर स्पिरिट और डीजल तेल क्रमशः 787.73 लाख रूपये और 2268.95 लाख रूपये मूल्य का बेचा लेकिन करारोपण पूर्व पुनरीक्षित दर से किया गया। इसके परिणामस्वरूप 122.27 लाख रूपये का कम करारोपण हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 1999) कि इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। आगे सूचना अप्राप्त है (अगस्त 2000)।

प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2000); उनका उत्तर अप्राप्त है (अगस्त 2000)।

3.4 शीरा से शराब का कम उत्पादन

उत्तर प्रदेश आबकारी आसवनी कार्यकलाप (संशोधित) नियमावली, 1978 के अनुसार शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से कम से कम 52.5 अल्कोहलिक लीटर शराब का उत्पादन होना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे के मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट को जॉच के लिए भेजा जाना अपेक्षित है। अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट की रिपोर्ट, नमूने की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर, सम्बन्धित आसवनी के

प्रभारी अधिकारी को भेजा जाना अपेक्षित है।

सरैया आसवनी, सरदार नगर और हिन्दुस्तान चीनी मिल एवं आसवनी, गोलागोकरननाथ के लेखा परीक्षा के दौरान (फरवरी 1999 एवं नवम्बर 1999) पाया गया कि मार्च 1998 से नवम्बर 1998 और जनवरी 1999 से जून 1999 के दौरान शीरे के 25 मिश्रित नमूने अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट को जॉच के लिए भेजा गया। अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट की आख्या के अनुसार अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 6462388.4 अल्कोहलिक लीटर के बजाय 6909540.27 अल्कोहलिक लीटर होना चाहिए। इस प्रकार 447151.87 अल्कोहलिक लीटर अल्कोहल का उत्पादन कम रहा जिसमें 181.97 लाख रूपये का आबकारी राजस्व सन्निहित था।

इसे इंगित किये जाने पर (फरवरी एवं नवम्बर 1999) विभाग ने बताया (फरवरी 1999 एवं मार्च 2000) कि मामले को आबकारी आयुक्त को प्रशमन करने के लिए भेजा गया है। आगे सूचना अप्राप्त है (अगस्त 2000)।

प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया(फरवरी 2000); उनका उत्तर अप्राप्त है (अगस्त 2000)।

(ii) माल वाहनों में दो चालक के होने की शर्त न लगाये जाने से शासन को अर्थदण्ड के रूप में 19.75 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 4.2.7)

(iii) दरों के गलत निर्धारण के फलस्वरूप 1.92 करोड़ रूपये की राजस्व हानि।

(प्रस्तर 4.2.8(ii))

4.2.1 प्रस्तावना

राज्य के परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा के विनियामक कार्यकलापों में अपराधों की जॉच, उदाहरणार्थ–(i) अपंजीकृत वाहनों का मार्गो पर परिचालन,(ii) बिना वैध अनुज्ञापत्र के वाहनों का संचालन या उसमें निहित शर्तो के विपरीत परिचालन (iii) बिना वैध चालक–अनुज्ञापत्रों या स्वस्थता प्रमाण–पत्रों के वाहनों का संचालन। करों के अपवंचन पर नियंत्रण के अन्तर्गत करों का भुगतान किये बिना वाहनों का परिचालन या जिन प्रयोजनों में उच्चतर कर का भुगतान अपेक्षित है, उनमें उनका, प्रयोग अथवा वाहनों को मार्ग से अपरिचालित घोषित किये जाने की अवधि में उनके परिचालन की जांच शामिल है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों का प्रशमन कार्य, शासकीय अधिसूचना (सितम्बर 1998) के अधीन, इन मामलों के निस्तारण में शीघ्रता लाने के लिए विभाग की प्रर्वतन शाखा के अधिकारियों को सौंपा गया है।

4.2.2 संगठनात्मक ढांचा

वाहन यातायात पर नियमों एवं विनियमों को प्रवर्तित करने तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने का समस्त उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) तथा परिक्षेत्रीय स्तर पर 7 उप–परिवहन आयुक्तों (आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, पौड़ी एवं वाराणसी) के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में मुख्यालय तथा सम्भागीय एवं उप–सम्भागीय कार्यालयों से सम्बद्ध,राज्य में 80 प्रवर्तन दल हैं।

प्रत्येक प्रवर्तन दल के अन्तर्गत एक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही आते हैं। सामान्यतया प्रवर्तन दलों द्वारा अपने सम्भाग/उपसम्भाग के सड़कों के किसी स्थान पर जांच कार्य का सम्पादन किया जाता है। लेकिन कभी–कभी अन्तर सम्भागीय जांच भी इनके द्वारा की जाती है।

4.2.3 विधिक प्रावधान

प्रवर्तन शाखा के कार्यकलापों को निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है:

(i) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम 1962 (जिसे आगे अधिनियम 1962 कहा गया है)

(ii) मोटर यान अधिनियम 1988 (जिसे आगे अधिनियम 1988 कहा गया है)

(iii) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 (जिसे आगे अधिनियम 1997 कहा गया है)

(iv) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली 1935 (जिसे आगे नियमावली 1935 कहा गया है)

(v) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 (जिसे आगे नियमावली 1989 कहा गया है)

4.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

विनियामक तथा नियंत्रक कार्यकलापों के साथ-साथ प्रवर्तन शाखा द्वारा अपराधों के प्रशमन के सम्बन्ध में जिन विद्यमान नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है, उनकी पर्याप्तता तथा प्रभावशीलता के अध्ययन हेतु लेखापरीक्षा द्वारा एक समीक्षा अक्टूबर 1999 से अप्रैल 2000 के मध्य सम्पादित की गयी। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा 22 सम्भागीय कार्यालयों में से 11[11] एवं 79 उप–सम्भागीय कार्यालयों में से 9[12] कार्यालयों के प्रवर्तन शाखा के अवधि 1994–95 से 1998–99 तक के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी।

4.2.5 प्रवर्तन शाखा द्वारा बकाया करों की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश यात्रीकर अधिनियम, 1962 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कराधान अधिनियम 1997 के अनुसार कोई भी वाहन, जिसका कर बकाया है, मार्ग पर संचालित नहीं करने दिया जायेगा। यदि कोई परिवहन यान/वाहन किसी व्यक्ति द्वारा बिना देय कर, अतिरिक्त कर, प्रशमन शुल्क के भुगतान किये ही संचालित की जा रही है तो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) उसे जब्त/अधिग्रहण कर सकता है। अग्रेतर 1 अप्रैल 1998 में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं कि समस्त प्रवर्तन दल अपने सम्भाग में दिनांक 1 अप्रैल 1998 को बकाया कर का 1/10 भाग प्रतिमाह वसूल करेंगे।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निजी (प्राइवेट) क्षेत्र के वाहन संचालकों पर दिनांक 1 अपैल 1998 को 16.06 करोड़ रूपये कर के रूप में बकाया था जिसमें से 10.75 करोड़ रूपये मात्र प्रवर्तन शाखा द्वारा वसूल किया गया 0.03 करोड़ रूपये अपलेखित किया गया तथा 1 अप्रैल 1999 को 5.28 करोड़ रूपये वसूली हेतु अवशेष रहा। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 1998 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पर 149.37 करोड़ रूपये कर के रूप में बकाया था जो 1 अप्रैल 1999 को बढ़कर 186.10 करोड़ रूपये हो गया। प्रवर्तन शाखा द्वारा उक्त बकाये की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा वाहन निरन्तर संचालित

11 संभागीय परिवहन कार्यालय : आगरा,अलीगढ़, बाँदा, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानुपर, काठगोदाम, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद एवं वाराणसी।

12 उप संभागीय कार्यालय : बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, हरिद्वार, मैनपुरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, नोयडा एवं ऋषिकेश स्रोत : परिवहन विभाग की क्रियाकलाप प्रतिवेदन वर्ष 1998–99

होते रहे। इसके परिणामस्वरूप 191.38 करोड़ रूपये सरकारी राजस्व वसूली हेतु निम्न विवरणानुसार पड़ा रहा।

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 1998 को बकाया कर	वर्ष 1998–99 में कर की वसूली	अपलेखित धनराशि	31 मार्च 1999 को अवशेष
(i) निजी क्षेत्र	16.06	10.75	0.03	5.28
(ii) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	149.37	शून्य	शून्य	186.10
योग	***165.43***	***10.75***	0.03	***191.38***

4.2.6 (i) बिना परमिट संचालित प्रक्रम वाहनों की चेकिंग न किये जाने से शासन को क्षति

मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थान पर सवारी वाहनों के संचालन हेतु, वाहन को अनुज्ञापत्र (परमिट) प्राप्त करना अनिवार्य है। अग्रेतर नियमावली, 1935 के अनुसार कराधान अधिकारी किसी भी ऐसे वाहन का मार्गकर, जो प्रतिफल के आधार पर संचालित हो, तब तक नहीं स्वीकार करेगा जब तक वाहन के संचालन हेतु वैध अनुज्ञापत्र न हो। अधिनियम, 1988 के अधीन प्रवर्तन दलों से अपेक्षित है कि बिना परमिट वाले संचालित वाहनों को निरीक्षण के दौरान संचालित पाये जाने पर चालान करें तथा 2500 रूपये प्रति वाहन प्रशमन शुल्क आरोपित कर वसूल करें।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त प्रावधानों के प्रतिकूल बिना परमिट वाली संचालित प्रक्रम वाहनों की जांच एवं चालान प्रवर्तन दलों द्वारा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार प्रशमन शुल्क के रूप में राजस्व क्षति हुई:

वर्ष	पंजीकृत वाहनों की संख्या	अनुज्ञापत्र से आच्छादित वाहनों की संख्या	बिना परमिट संचालित वाहनों की संख्या
1994-95	20,219	16,938	3,192
1995-96	अनुपलब्ध		
1996-97	21,310	18,315	2,995
1997-98	22,044	18,456	3,578
1998-99	21,665	18,339	3,326

(ii) स्कूल बसों के अनधिकृत संचालन से शासन को हानि

अधिनियम, 1997 के अधीन पंजीकृत शैक्षिक संस्थाओं के स्वामित्व वाली मोटर यान (प्रक्रम वाहनों) को यात्रीकर के भुगतान से मुक्त रखा गया है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वाराणसी सम्भाग में आठ प्रक्रम वाहन तथा मथुरा उप–सम्भाग में दो प्रक्रम वाहन, स्कूल बस के रूप में, स्कूल बसों के लिए निर्धारित पीले रंग में रगांकर संचालित

की जा रही थी। इस तथ्य के बावजूद कि ये बसें किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के नाम पंजीकृत नहीं हैं, वाहन स्वामियों ने अपेक्षित यात्रीकर का भुगतान नहीं किया । इसके फलस्वरूप 9 नवम्बर 1998 से दिसम्बर 1999 की अवधि में 11.31 लाख रूपये यात्रियों पर अतिरिक्त कर के रूप में हानि हुई। प्रवर्तन दल इन वाहनों के अवैध संचालन को रोकने में अक्षम रहा।

4.2.7 अपेक्षित दो चालकों की शर्त को न लागू किए जाने से शासन को क्षति

नियमावली, 1989 के नियम–90 के अनुसार, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र से आच्छादित वाहनों में कम से कम दो चालकों का होना, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अग्रेतर समस्त प्रवर्तन दलों से अपेक्षित है कि राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों से आच्छादित वाहनों में दो चालक न पाये जाने पर वाहनों का चालान करे तथा चूक करने वाले वाहनों से 2500 रूपये प्रति वाहन प्रशमन शुल्क वसूल करें।

10 सम्भागों[13] तथा 8 उप–सम्भागों[14] के प्रवर्तन शाखा के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रवर्तन दलों ने दूसरे वाहन चालकों का, जैसा कि नियम के अन्तर्गत अपेक्षित है, न तो नाम का उल्लेख किया और न ही लाइसेंस की वैधता आदि का। यह इंगित करता है कि राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र वाले वाहनों में दो चालक होने का नियम लागू नहीं किया गया और चूक करने वाले वाहनों का चालान भी नहीं किया गया। इस प्रकार इस शर्त के प्रभावी न किये जाने के परिणामस्वरूप सरकार को 1994–95 से 1998–99 की अवधि के मध्य 78995 वाहनों पर 19.75 करोड़ रूपये राजस्व से वंचित होना पड़ा।

4.2.8 वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण में कमी लाने हेतु जॉच किए जाने वाले वाहनों के लक्ष्य की प्राप्ति न करना

(i) नियमावली, 1989 के नियम 115 एवं 116 में प्रावधान है कि प्रत्येक मोटरयान ऐसी दशा में निर्मित एवं रखी जायेगी कि उससे निष्कासित धुआं दृश्य, वाष्पकण, ग्रिट, चिंगारी, राख सिन्डर या तैलीय तत्व वातावरण में फैल न सके। ऐसा कोई भी अधिकारी जो पुलिस उप निरीक्षक या मोटरयान निरीक्षक पद से नीचे का न हो, को यह समाधान हो जाय कि वाहन से निष्काषित धुआं या अन्य दूषित पदार्थ जैसे कार्बन मोनोआक्साइड आदि इससे निकल रहे हैं तथा उससे सड़क का प्रयोग करने वालो या अन्य चलने वाले लोगो के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तो वह चालक या अन्य कोई वाहन प्रभारी को वाहन के वायु/ध्वनि प्रदूषण के मानक की जॉच को मापने हेतु निर्देशित कर सकता है।

11 सम्भागों तथा 9 उप–सम्भागों (समीक्षा में शामिल है) की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रवर्तन दलों को या तो धुआं मापक यंत्र उपलब्ध नहीं कराये गये थे या खराब धुआं मापक मीटर्स उपलब्ध कराये गए थे। इसके अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के निर्देशों के अनुसार कुल 3,15,480 वाहनों के धुआं मापक जांच का लक्ष्य निर्धारित था जिसके विरूद्ध केवल 58616 वाहनों का ही वास्तविक

13 संभागीय परिवहन कार्यालय : आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, काठगोदाम, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद एवं वाराणसी

14 उप संभागीय कार्यालय : बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, हरिद्वार, मैनपुरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर एवं ऋषिकेश

परीक्षण किया गया था।

(ii) नियमावली, 1989 के नियम 119(2) के अनुसार किसी भी वाहन में मल्टीटोन हार्न या अत्यधिक शोर वाले ध्वनि उपकरण को लगाने पर प्रतिबन्ध है। जहां तक ध्वनि प्रदूषण को कम करने का सम्बन्ध है उसके लिए न तो कोई मानक निर्धारित किया गया और न ही ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र ही उपलब्ध कराये गये। (9 सम्भागों[15] एवं 7 उप सम्भागों[16] में) ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 19920 वाहनों को, जो मल्टी टोन हार्न प्रयोग करते हों, की जाँच हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध केवल 7382 वाहनों की ही वास्तविक जाँच हुई। आगरा, कानपुर, लखनऊ सम्भाग तथा मथुरा उप सम्भाग में लक्ष्य से अधिक प्राप्ति रही परन्तु शेष सम्भागों/उप सम्भागों में लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार प्रवर्तन दल निर्धारित मानक की प्राप्ति सुनिश्चित करने में असफल रहा।

(iii) अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहन का संचालन सार्वजनिक स्थान पर करता है जो मार्ग की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं वायु तथा ध्वनि प्रदूषण मानकों का उल्लंधन करता है तो वह प्रथम आरोप पर 1000 रूपये तथा दूसरे या प्रत्येक अगले अपराध पर 2000 रूपये अर्थदण्ड आरोपणीय है। ऐसे वाहनों का चालान जिन पर अत्यधिक धुआं निकलने का आरोप था उनके लिए सरकार ने अपनी अधिसूचना फरवरी 1995 में प्रशमन शुल्क की दर 500 रूपये निर्धारित किया था। यह अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत है इसलिए अधिसूचना गलत है तथा उसमें प्रशमन की निर्धारित दर भी गलत है।

लेखा परीक्षा में 10 सम्भागों एवं 9 उप–सम्भागों में देखा गया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रशमन शुल्क की वसूली नहीं की गयी है बल्कि विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना में निर्धारित दर पर ही प्रशमन शुल्क की वसूली की गयी है। इसके फलस्वरूप फरवरी 1995 से अगस्त 1998 की अवधि के मध्य 38435 प्रकरणो में 1.92 करोड़ रूपये की प्रशमन शुल्क के रूप में राजस्व की हानि हुई।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित करने पर विभाग ने बताया कि धारा 190(2) के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली प्रशमन शुल्क की दर 1000 रूपये 1 सितम्बर 1998 से पुनरीक्षित कर दी गयी है।

उपरोक्त बिन्दुओं को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2000); उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

4.3 यात्रीकर का अनारोपण

(क) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत प्रक्रम वाहनों पर यात्रियों द्वारा राज्य में तय की गयी दूरी के लिए वाहन स्वामी को देय किराये पर 16 प्रतिशत की दर से यात्रीकर आरोपणीय है। शासकीय अधिसूचना दिनांक 22 मई 1996 के अन्तर्गत उत्तर

15 अलीगढ़, बांदा, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, काठगोदाम, मेरठ, मुरादाबाद एवं वाराणसी

16 बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, हरिद्वार, मैनपुरी, नोएडा एवं ऋषिकेश

प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अधिभार के रूप में चार विभिन्न अवसरों पर किराये में वृद्धि की तथा यात्रियों से उसे वसूल भी किया। शासकीय अधिसूचना नवम्बर 1998 के अनुसार अधिभार को किराये का भाग माना गया है।

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ की लेखा परीक्षा में पाया गया (मई 1999) कि वर्ष 1996–97 से 1997–98 की अवधि में अधिभार के रूप में किराये में वृद्धि के फलस्वरूप 177.36 करोड़ रूपये की आय हुई। इस अधिभार पर (जो किराये का भाग है) 29.79 करोड़ रूपये यात्रीकर के रूप में देय था किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अधिभार को निगम की आय माना। इस प्रकार अधिभार पर देय यात्रीकर न तो निगम द्वारा जमा किया गया और न ही, विभाग द्वारा आरोपित किया गया इसके फलस्वरूप यात्रीकर का उक्त धनराशि तक अनारोपण हुआ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (मई 1999) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने उत्तर में बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार पर यात्रीकर आरोपणीय नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि शासकीय अधिसूचना 1998 के अनुसार अधिभार को किराये का ही भाग माना गया है अतएवं सम्पूर्ण किराये पर यात्रीकर आरोपणीय है।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 1999 व अप्रैल 2000); उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2000)।

(ख) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम 1962 के अनुसार यात्रियों द्वारा देय सम्पूर्ण किराये पर 16 प्रतिशत की दर से यात्रीकर आरोपणीय है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ वाहन स्वामी द्वारा रियायत किराया/ किराया मुक्त कर दिया गया हो उस पर भी यात्रीकर आरोपणीय है।

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ के अभिलेखों की लेखा परीक्षा (मई 1999) में ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 1998 के अन्त तक विभिन्न अवधियों में एक राजनैतिक पार्टी तथा 68[17] प्रान्तीय विभागों/अन्य प्रान्तों/केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम के प्रक्रम वाहनों को किराये पर लिया गया था जिस पर 14.41 करोड़ रूपया किराया वसूली योग्य था तदनुसार निगम से यात्रीकर के रूप में 2.09 करोड़ रूपया आरोपणीय एवं वसूली योग्य था जिसके परिणामस्वरूप 2.09 करोड़ रूपये का अनारोपण हुआ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 1999 एवं मई 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

4.4 कम्पोजिट फीस का कम वसूला जाना

जुलाई 1994 में शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अधीन उत्तर प्रदेश में संचालित अधिकृत माल वाहनों को 1 अगस्त 1994 से 5000 रूपये प्रति माल

17 केन्द्र सरकार के 28 विभाग, राज्य सरकार के 28 विभाग, अन्य प्रान्तों के राज्य सड़क परिवहन निगमों के 10 एवं अन्य 2

वाहन प्रतिवर्ष या उसके भाग पर कम्पोजिट फीस विहित किया था।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की लेखा परीक्षा (अक्टूबर 1999) में पाया गया कि अगस्त 1998 से मार्च 1999 की अवधि में 40.83 लाख रूपयें मूल्य के कुल 1633 बैंक ड्राफ्ट अन्य प्रान्तों/केन्द्र शासित प्रदेशों से कम्पोजिट फीस मद में प्राप्त हुए थे। छानबीन (संवीक्षा) में पाया गया कि इन प्रकरणों में कम्पोजिट फीस मद में 5000 रूपये प्रतिभार वाहन की दर के स्थान पर 2500 रूपये प्रतिभार वाहन ही शुल्क लिया गया। लेकिन विभाग ने कम वसूल की गयी फीस की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार निर्धारित दर से कम्पोजिट फीस न वसूल किये जाने के परिणामस्वरूप 40.83 लाख रूपये की कम वसूली हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 1999) विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया और विभिन्न राज्यों से कहा (जनवरी 2000) कि कम वसूले गये कम्पोजिट फीस की वसूली करके प्रेषित करें। आगे सूचना प्राप्त नहीं है (अगस्त 2000)।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2000); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2000)।

4.5 यात्रीकर की गलत छूट

शासकीय अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर 1962, के अनुसार पंजीकृत शिक्षण संस्थाओं के स्वामित्व वाली प्रक्रम वाहनें यात्रीकर की देयता से मुक्त हैं।

तीन सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[18] की लेखा परीक्षा (मई 1998 से दिसम्बर 1998 के मध्य) में ज्ञात हुआ कि सितम्बर 1991 एवं नवम्बर 1998 के मध्य 5 वाहनों को गलत ढंग से स्कूल बस के नाम पंजीकृत किया गया तथा यात्रीकर की देयता से मुक्त रखा गया। संवीक्षा में प्रकाश में आया कि वास्तव में उक्त वाहन किसी पंजीकृत शिक्षण संस्था के स्वामित्व में नहीं थीं अतएव यात्रीकर से छूट की हकदार नहीं थीं। इसके परिणामस्वरूप 21.09 लाख रूपये यात्रीकर की गलत छूट प्रदान की गयी।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (अक्टूबर 1998 एवं दिसम्बर 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

4.6 मैक्सी कैब वाहनों पर यात्रीकर का अवनिर्धारण

शासकीय आदेश दिनांक 21 नवम्बर 1996 द्वारा मैक्सी कैब वाहनों से एकमुश्त 2350 रूपये प्रतिमाह की दर से यात्रीकर वसूलने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था जिसे नवम्बर 1998 से घटाकर रू0 1500 प्रतिमाह कर दिया गया। दो सम्भागीय परिवहन कार्यालयों तथा दो सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों की लेखा परीक्षा (अगस्त 1998 एवं जुलाई 1999 के

18 बिजनौर, गोण्डा एवं पीलीभीत

मध्य) में देखा गया कि 77 मैक्सी कैब वाहनों को सम्बन्धित सम्भागीय/उप सम्भागीय कार्यालयों द्वारा अनुज्ञापत्र (1995 से 1998 के मध्य) निर्गत किये गये थे लेकिन विभाग द्वारा 25.62 लाख रूपये यात्रीकर का न तो निर्धारण ही किया गया और न ही वसूली की गयी। इसके परिणामस्वरूप 25.62 लाख रूपये राजस्व की वसूली नहीं हो सकी जिसका विवरण निम्नवत है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	सम्भाग/उप सम्भाग का नाम	मैक्सी कैब वाहनों की संख्या	अवधि जिसमें यात्रीकर का निर्धारण/वसूली नहीं किया गया	धनराशि
1.	इलाहाबाद	35	नवम्बर 1996 से सितम्बर 1998	13.94
2.	देवरिया	19	मार्च 1997 से जून 1999	6.14
3.	महोबा	6	सितम्बर 1995 से फरवरी 1999	2.65
4.	वाराणसी	17	दिसम्बर 1997 से जुलाई 1998	2.89
	योग	**77**		**25.62**

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (अगस्त 1998 एवं जुलाई 1999 के मध्य) विभाग ने वाहन स्वामियों से धनराशि को आरोपित एवं वसूल करने का आश्वासन दिया। आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2000)।

प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 1999 एवं मार्च 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

4.7 यात्री वाहनों पर कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के अनुसार ऐसे यात्री वाहनें, जो प्रतिफल के आधार पर संचालित हो रही हो, पर यात्रीकर के अतिरिक्त, यात्रियों के सामानों पर वाहनों के सकल यान भार पर 45 रूपये प्रति मीट्रिक टन या उसके भाग पर प्रति त्रैमास कर देय है।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा की लेखा परीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 1999) कि सम्भाग में संचालित 935 यात्री वाहनों से जो यात्रियों के सामानों को ढोती हैं, 45 रूपये प्रति मीट्रिक टन प्रति त्रैमास की दर से वाहनों के सकल यान भार पर कर आरोपित एवं वसूल किया जाना अपेक्षित था। परन्तु विभाग द्वारा 45 रूपया प्रतिवाहन प्रति त्रैमास ही वसूला गया था जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 1999 से दिसम्बर 1999 की अवधि में 21.88[19] लाख रूपये कर का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

4.8 एक मुश्त यात्रीकर का गलत आगणन

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत,

19 प्रक्रम वाहनों का सकल यान भार 13200 कि0ग्रा0 के औसत पर आगणित

किसी प्रक्रम वाहन का किसी मार्ग पर एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देय यात्रीकर की गणना, सम्पूर्ण मार्ग पर देय कुल किराया, प्रक्रम वाहन द्वारा लगाए जाने वाले स्वीकृत या प्रत्याशित एकल फेरों की संख्या तथा भार क्षमता पर निर्भर करता है। मार्ग, फेरों की संख्या (बसों की संख्या को सम्मिलित करते हुए) बैठने या खड़े होने की क्षमता या किराया में कोई परिवर्तन होने पर एकमुश्त अनुबन्ध, ऐसे परिवर्तन की तिथि से, निष्प्रभावी हो जाता है तथा अनुबन्ध की असमाप्त अवधि के लिए एक नया अनुबन्ध निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मुरादाबाद तथा उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय कुशीनगर (पडरौना) की लेखा परीक्षा के दौरान (नवम्बर 1998 एवं मार्च 1999) यह पाया गया कि दो मार्गों पर संचालित प्रक्रम वाहनों की संख्या क्रमशः 1 जनवरी 1996 से 31 अक्टूबर 1998 एवं 31 अक्टूबर 1997 से 31 जनवरी 1999 की अवधि में कम कर दी गयी, जिसके फलस्वरूप एकमुश्त अनुबन्ध इस परिवर्तन की तिथि से निष्प्रभावी हो गया तथा नया अनुबन्ध किया जाना आवश्यक हो गया। तथापि उपर्युक्त प्रकरणों में एकमुश्त अनुबन्ध को पुनरीक्षित नहीं किया गया और यात्रीकर की वसूली कम दर पर की जाती रही जिसके फलस्वरूप 24.22 लाख रूपये यात्रीकर की कम वसूली की गयी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1998) विभाग ने उत्तर में बताया (मार्च 1999) कि धनराशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायगी। आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई है(अगस्त 2000)।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 1999 एवं अक्टूबर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

4.9 यात्रीकर निर्धारण से छूट जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत प्रक्रम वाहनों द्वारा ढोये जाने वाले प्रत्येक यात्री पर निर्धारित दर से कर लगाया जायेगा। शासकीय आदेश दिनांक 10 सितम्बर 1993 के अनुसार महा नगरीय सिटी बस सेवा योजना के अधीन संचालित मिनी बसों तथा प्रक्रम वाहनों से उनकी बैठने की क्षमता के अनुसार क्रमशः 1400 रूपये तथा 2000 रूपये प्रति वाहन प्रतिमाह यात्रीकर वसूल किया जाना है। यदि किसी कारण से अधिनियम के अधीन किसी माह में यात्रीकर पूर्णतः अथवा अंशतः आरोपित होने से छूट जाता है तो कर अधिकारी उस माह की समाप्ति से 3 वर्ष के भीतर किसी समय कर का पुनः निर्धारण कर सकता है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, इलाहाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया (मार्च 1999), कि 20 प्रक्रम वाहनों को महानगरीय सिटी बस सेवा योजना में 5 वर्ष के संचालन के लिए अनुज्ञा पत्र (सितम्बर 1993 से जनवरी 2002) प्रदान किया गया था लेकिन इन प्रक्रम वाहनो द्वारा जून 1995 से अगस्त 1998 की अवधि तक देय यात्रीकर की वसूली नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 5.73 लाख रूपये यात्रीकर निर्धारण से छूट गया।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 1999 तथा अक्टूबर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

अध्याय–5: स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999–2000 की लेखा परीक्षा के दौरान जिला निबन्धकों, उपनिबन्धकों तथा जिला स्टाम्प अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जॉच में 242 मामलों में 476.88 लाख रूपये के स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस कम आरोपित किए जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का कम आरोपण	214	157.64
2.	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	08	18.95
3.	अन्य अनियमितताएँ	20	300.29
	योग	**242**	**476.88**

वर्ष 1999–2000 में 83 मामलों में विभाग ने 132.14 लाख रूपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया, जिनमें 64.45 करोड़ रूपये के कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं:

5.2 स्टाम्प शुल्क का कम/न वसूल किया जाना

(क) उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेन्स (टेण्डर सह नीलामी) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत, उन मामलों में जहॉ लाइसेसिंग प्राधिकारी द्वारा देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु अनुज्ञापत्रों के आवंटन की बोली स्वीकार की गयी है वहां बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा संविदा की विहित तरीके से कार्य निष्पादन हेतु अग्रिम प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रत्येक बोली बोलने वाले को, जिसके पक्ष में लाइसेन्स दिया गया है, लाइसेन्स की शर्तो के अनुरूप अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध भी निष्पादित करना होगा। शासन के अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल 1993 एवं 2 नवम्बर 1993 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये प्रपत्र बन्धक पत्र के संवर्ग में आते हैं और तदनुरूप स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

18 जिले के आबकारी कार्यालयों[20] के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि संविदा की शर्तों के निष्पादन हेतु वर्ष 1995–96 से 1999–2000 की अवधि में देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु, बोली स्वीकार किये जाने पर, अनुज्ञापियों ने 486.5 करोड़ रूपये अग्रिम प्रतिभूति नकद जमा किया और प्रतिरूप अनुबन्ध भी निष्पादित किया। फिर भी इन अनुबन्धों को बन्धक प्रपत्र मानते हुए 60.81 करोड़ रूपये स्टाम्प शुल्क (125 रूपये प्रति हजार की दर से आगणित) न तो आरोपित किया गया और न ही वसूला गया। परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक राजस्व की वसूली होने से रह गयी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 1999 से अप्रैल 2000); 16 जिला आबकारी अधिकारियों ने बताया कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से निर्देश प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ख) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के साथ पठित यू0पी0 स्टाम्प मैनुअल, 1942 के नियम 341 और यू0पी0 स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्य निर्धारण) नियमावली, 1997 के अन्तर्गत किसी व्यावसायिक भवन की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क, विक्रय प्रपत्र में उल्लिखित मूल्य या वार्षिक किराया के 25 गुना, जो भी अधिक हो, वसूला जाना चाहिए।

देहरादून, हरिद्वार और मेरठ के तीन होटल मालिकों द्वारा, सराय एवं पड़ाव अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु जमा किये गये प्रपत्रों की जॉच (अक्टूबर से दिसम्बर 1999) के दौरान यह पाया गया कि एक मामले (देहरादून) में केवल एक सादे कागज पर आवेदन के आधार पर, बिना कोई स्टाम्प शुल्क लिए, एक दूसरे व्यक्ति को होटल हस्तान्तरित कर दिया गया। अन्य दो मामलों (मेरठ और हरिद्वार) में, जहॉ विक्रय विलेख निष्पादित किये गये, उचित स्टाम्प शुल्क लिए बिना ही दूसरे व्यक्ति को होटल हस्तान्तरित कर दिया गया। परिणामस्वरूप 149.88 लाख रूपये शुल्क लिए जाने के बजाय केवल 5.23 लाख रूपये ही लिए जाने से 144.65 लाख रूपये राजस्व कम/नहीं वसूला गया। विवरण निम्नवत है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	होटलों का नाम और उसकी स्थिति	होटल के कमरे का प्रतिदिन का किराया (रुपये में)	कमरे के प्रतिदिन किराये के आधार पर मूल्यांकन	विक्रय विलेख में दर्शाया गया मूल्य	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	वसूला गया स्टाम्प शुल्क	कम/न वसूला गया स्टाम्प शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
1.	रायल पाम होटल, देहरादून	6000	547.50	शून्य	79.39	शून्य	79.39
2.	पापा होटल, मेरठ	1825	166.54	22.00	16.65	2.20	14.45
3.	होटल हालीडे इन, हरिद्वार	5900	538.38	30.30	53.84	3.03	50.81
	योग		**1252.42**	**52.30**	**149.88**	**5.23**	**144.65**

20 अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, सहारनपुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (नवम्बर 1999 और जनवरी 2000) विभाग द्वारा कहा गया कि उचित कार्यवाही की जाएगी; आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2000)।

मामला शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

5.3 जारी किए गए बॉण्डों पर स्टाम्प शुल्क कम जमा किये जाने से राजस्व हानि

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत किसी विलेख की उचित स्टाम्प शुल्क प्रभार्यता, उसकी विषय वस्तु के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, न कि निष्पादन कर्त्ता द्वारा दी गयी टाइटिल के अनुसार। 1 जून 1976 से, वचन पत्र का भुगतान जारी होने के एक वर्ष से अधिक समय में किये जाने पर, 10 रूपये प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यू0पी0एफ0सी0) कानपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा (दिसम्बर 1999) में यह देखा गया कि वर्ष 1998–99 के दौरान, निगम ने 60.35 करोड़ रूपये के 94 बाण्ड प्रमाण पत्र वचन पत्र के रूप में निर्गत किये, जिनका भुगतान निर्गमन तिथि से एक वर्ष बाद किया जाना था। इन वचन–पत्रों पर 10 रूपये प्रति हजार की दर से प्रभार्य 60.35 लाख रूपये स्टाम्प शुल्क के विरूद्ध एक रूपया प्रति प्रमाण पत्र की दर से 94 रूपया मात्र जमा किया गया। इसके फलस्वरूप 60.35 लाख रूपये स्टाम्प शुल्क कम जमा हुआ।

मामला निगम एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2000)। निगम ने अप्रैल 2000 में बताया कि बॉण्ड अभिदानकर्त्ता बैंक को निर्गत किये गये हैं जिस पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं है। निगम का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी कोई छूट अनुमन्य नहीं है। शासन के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

5.4 लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

(क) अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद–6 के अनुसार ऋण की अदायगी, स्वपत्रों के निक्षेप द्वारा सृजित बंधक (इक्विटेबिल मार्टगेज) सम्बन्धी विलेखों पर, 1 सितम्बर 1998 से 16 दिसम्बर 1998 की अवधि में 2 प्रतिशत एवं 17 दिसम्बर 1998 से 5 रूपया प्रति हजार अधिकतम 10,000 रूपये स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यू0पी0एफ0सी) कानपुर के अभिलेखों की जॉच (दिसम्बर 1999) में पाया गया कि निगम के 21 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा, चल सम्पत्ति के विरूद्ध जमानत पर लिए गए ऋणों के स्वत्व पत्रों का निक्षेप से सम्बन्धित इकरार, विलेख पत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क 84.34 लाख रूपये के स्थान पर 0.82 लाख रूपये ही स्टाम्प शुल्क जमा किया गया, जिसके फलस्वरूप 83.52 लाख रूपये राजस्व की क्षति हुई। विवरण संलग्नक–I में दिया गया है।

प्रकरण उत्तर प्रदेश वित्त निगम एवं शासन को प्रेषित किया गया (फरवरी 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

(ख) पिकप (पी0आई0सी0यू0पी0) क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा के अभिलेखों की नमूना जॉच (फरवरी 2000) में पाया गया कि 6 मामलों में ऋणों की अदायगी स्वत्व पत्रों के निक्षेप द्वारा सृजित बंधक (इक्विटेबिल मार्टगेज) सम्बन्धी विलेखों पर स्टाम्प शुल्क 11.70 लाख रूपये के स्थान पर 0.10 लाख रूपये आरोपित किया गया जिसके फलस्वरूप 11.60 लाख रूपये स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ। विवरण निम्नवत है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	ऋण प्राप्तकर्त्ता का नाम	ऋण की धनराशि	विलेख की निष्पादन तिथि	देय स्टाम्प शुल्क	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क (रुपये में)	कमी स्टाम्प शुल्क
1.	मे. कैपिटल लैमेटेट्स प्रा0 (लिमिटेड)	75.00	18 सितम्बर 1998	1.50	100	1.50
2.	मे0 पी0 पी0 इन्टर प्राइजेज लिमिटेड	220.00	9 अक्टूबर 1998	4.40	100	4.40
3.	मे0 सुपीरियर पैकिंग प्रा0 लिमिटेड	130.00	3 अक्टूबर 1998	2.60	100	2.60
4.	मे0 शिवाके पैलेस	150.00	16 दिसम्बर 1998	3.00	10,000	2.90
5.	मे0 दौराला सुगर बर्क्स लिमिटेड दौराला	400.00	6 नवम्बर 1999	0.10	100	0.10
6.	मे0 कोआपरेटिव कम्पनी लिमिटेड	78.50	29 सितम्बर 1999	0.10	100	0.10
	योग	**1053.50**		**11.70**	**10,500**	**11.60**

मामला निगम तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

(ग) उप निबन्धक प्रतापगढ़ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1999) कि एक अन्तरण विलेख को, पट्टा विलेख पंजीकृत करके, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस की अदायगी की गई। इस प्रकार गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 8.97 लाख रूपये के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 1999 एवं जनवरी 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

5.5 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क का अवनिर्धारण

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत बन्धक या अन्य भार से प्रतिबन्धित सम्पत्ति बिक्रय के मामलों में, बन्धक या भार के धन का अदा न किया गया भाग, मय उसके ब्याज के (यदि कोई हो) जो उस पर देय हो, विक्रय के प्रतिफल का भाग माना जायेगा।

उप निबन्धक बिन्दकी (फतेहपुर) के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (अगस्त 1998) कि एक औद्योगिक सम्पत्ति 76.90 लाख रूपये के ऋण भार सहित यू0पी0एफ0सी0 द्वारा एक फर्म को बेचा गया। जबकि विलेख 20 लाख रूपये में निबन्धित किया गया और तद्नुरूप स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया। चूंकि बकाया ऋण भार को विषय वस्तु मानना चाहिए था और उसी पर स्टाम्प शुल्क भी आरोपित करना चाहिए था जिसके न करने के फलस्वरूप 6.15 लाख रूपये स्टाम्प शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 1999 एवं जनवरी 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

(ख) अधिनियम के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य, अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार किसी एक जिले में स्थित विभिन्न वर्गों की भूमि की बाजार दरें, निबन्धन प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु, सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती हैं।

20 उप निबन्धक कार्यालयों[21] के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया (अप्रैल 1998 और नवम्बर 1999 के मध्य) कि 24 कृषि–इतर भूमि के अन्तरण विलेख में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित कृषि–इतर भूमि के लिए 592.84 लाख रूपये के बजाय कृषि भूमि की दर से 79.09 लाख रूपये पर पंजीकृत किया गया। भूमि के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का क्रमशः 46.90 और 0.72 लाख रूपये का अवनिर्धारण हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 1998 एवं फरवरी 2000 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

21 आगरा–II बदलापुर (जौनपुर), बलरामपुर, बाह (आगरा), भानपुर (बस्ती), धनौरा (जे0पी0 नगर), हरिद्वार, जानसठ (मुजफ्फनगर), कासगंज (एटा), मलिहाबाद (लखनऊ), मुजफ्फनगर–I, मेरठ–I, मिलक (रामपुर), मथुरा–I, निघासन (लखीमपुर खीरी), फूलपुर (इलाहाबाद), रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर–II, स्याना (बुलन्दशहर)।

अध्याय–6: भू–राजस्व

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999–2000 की अवधि में लेखा परीक्षा में किये गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच से 392 मामलों में 1658.24 करोड़ रूपये के भू–राजस्व का न/कम वसूल किया जाना, संग्रह प्रभार का कम वसूल किया जाना, एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	भू–राजस्व का न/कम वसूल किया जाना	32	254.08
2.	संग्रह प्रभार की कम वसूली	105	145.76
3.	किसान बही की आपूर्ति के लिए फीस का न वसूला जाना	40	34.93
4.	अन्य अनियमितताएं	214	174.87
5.	नजूल भूमि के प्रबन्धन पर समीक्षा	01	165214.00
	योग	**392**	**165823.64**

वर्ष 1999–2000 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 85.36 लाख रूपये के 99 मामले विभाग द्वारा स्वीकार किये गये जो विगत वर्षो के लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे। उदाहणार्थ कुछ मामले, नजूल भूमि के प्रबन्धन पर एक समीक्षा सम्मिलित करते हुए, जिसमें 1654.99 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रभाव सन्निहित हैं अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है:

6.2 'नजूल भूमि के प्रबन्धन' पर समीक्षा

मुख्य अंश

(i) प्रीमियम एवं भूमि भाटक के राजकीय अंश 2.77 करोड़ रूपये का अनाधिकृत ढंग से रोका जाना।

(प्रस्तर 6.2.5 (अ)एवं(ब))

(ii) सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों आदि से प्रीमियम की वसूली न किये जाने के फलस्वरूप 120.46 करोड़ रूपये राजस्व की क्षति।

(प्रस्तर 6.2.6)

(iii) पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के बाद नजूल भूमि का अनाधिकृत रूप से रोके जाने के फलस्वरूप 171.17 करोड़ रूपये प्रीमियम की क्षति।

(प्रस्तर 6.2.7)

(iv) विस्थापित व्यक्तियों से प्रीमियम एवं किराए की राशि की वसूली न किये जाने के फलस्वरूप 0.58 करोड़ रूपये राजस्व की क्षति।

(प्रस्तर 6.2.8)

(v) अनाधिकृत कब्जों का विनियमितीकरण न किए जाने से 189.15 करोड़ रूपये प्रीमियम की हॉनि।

(प्रस्तर 6.2.9)

(vi) केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित की गई नजूल भूमि की कुल कीमत की वसूली न किया जाना/अवनिर्धारण में सन्निहित धनराशि 0.23 करोड़ रूपये।

(प्रस्तर 6.2.10)

(vii) नजूल भूमि के क्षेत्रफल में भिन्नता के परिणामस्वरूप 464.03 करोड़ रूपये प्रीमियम की क्षति।

(प्रस्तर 6.2.11)

(viii) नजूल भूमि की अनाधिकृत कब्जों से सरकार को 657.77 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 6.2.12)

(ix) नजूल भूमि के प्रबन्धन में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता के कुछ उदाहरण भी प्रकाश में आए जिससे 40.25 करोड़ रूपये प्रीमियम की धनराशि से शासन को वंचित रहना पड़ा।

(प्रस्तर 6.2.13एवं14)

6.2.1 प्रस्तावना

'नजूल' शब्द उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, बिना किसी पूर्व विचार अथवा प्रत्याशा के ऐसी वस्तु, जो ईश्वर प्रदत्त रूप में उपलब्ध हो। नजूल भूमि का तात्पर्य उस भूमि (भवनों) से है जो सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों, जमींदारों, नवाबों एवं राजाओं आदि से, बिना अधिगृहीत किये एवं बिना कोई भुगतान किये बगैर जब्त की गई।

नजूल भूमि, लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) में, सरकार द्वारा बेमियादी धारित किया जाता है। नजूल भूमि का हस्तान्तरण लाइसेंस अथवा पट्टों के रूप में किया जा सकता है।

6.2.2 विधिक प्रावधान

नजूल भूमि का प्रबन्धन, प्रशासन तथा सम्बन्धित क्रियाकलापों का नियंत्रण, शासित होता है:

(i) उत्तर प्रदेश नजूल मैनुअल, 1949 (यहां इसे मैनुअल कहा गया है)

(ii) उत्तर प्रदेश शासकीय अनुदान अधिनियम, 1960 (यहाँ इसे शासकीय अनुदान अधिनियम कहा गया है)

(iii) उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (यहां इसे अधिनियम 1973 कहा गया है)

6.2.3 संगठनात्मक ढॉचा

सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी, नजूल भूमि से सम्बन्धित प्रबन्धन एवं प्रशासन के लिए मुख्य प्रभारी होता है। प्रभारी अधिकारी, अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी (नजूल) द्वारा उसकी सहायता की जाती है। दो जिलों यथा लखनऊ एवं देहरादून में यह कार्य सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को सौपा गया है। अन्य स्थानों पर नगर निगम/नगरपालिका परिषद/जिलापरिषद तथा अन्य स्थानीय निकायों को नजूल भूमि का प्रबन्धन एवं पट्टों के किराए की वसूली, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया जाता है।

शासन की अधिसूचना आदेश अक्टूबर 1994 के अनुसार उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि का कुल क्षेत्रफल 24.48 करोड़ वर्ग मीटर है।

6.2.4 लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र

नजूल भूमि के प्रबन्धन एवम् नियंत्रण हेतु, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये नजूल कानून, विज्ञप्तियॉं, अनुदेश तथा परिपत्रों के प्रावधानों के साथ अनुपालन की सीमा सुनिश्चित किए जाने हेतु, जुलाई 1999 से अप्रैल 2000 के मध्य, एक समीक्षा सम्पादित की गई। इस अभिप्राय हेतु, उत्तर प्रदेश के 83 जनपदों में से 27 जनपदों के अपर जिला अधिकारी (नजूल) तथा नगर निगम/नगर पालिका परिषद/विकास प्राधिकरण के वर्ष 1994–95 से 1999–2000 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जॉच की गयी।

लेखा परीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अगले प्रस्तरों में वर्णन किया गया है:

6.2.5 प्रीमियम एवं भूमि भाटक के शासकीय अंश का अनाधिकृत ढंग से प्रतिधारण किया जाना

(अ) मैनुअल के प्रस्तर 76 के अनुसार, स्थानीय निकायों द्वारा वसूले गये प्रीमियम के आधे

भाग को, सरकारी लेखे में तुरन्त जमा किया जायगा।

12 जिलों के नजूल अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि उपर्युक्त प्रावधानों के विरूद्ध स्थानीय निकायों द्वारा, प्रीमियम में सरकारी अंश 1.66 करोड़ रूपये को, अनाधिकृत रूप से रोक रखा गया तथा सरकारी लेखे में जमा नहीं किया गया। विवरण संलग्नक 2 में दिया गया है।

(ब) आगे मैनुअल में यह भी विहित है कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 3 माह के अन्दर, अन्य आय (भाटक आदि) के सम्बन्ध में, कुल वार्षिक भाग का 1/4 भाग राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।

24 जिलों के नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/विकास प्राधिकरणों द्वारा रखे गये भाटक के माँग एवं वसूली पंजिका की जांच में पाया गया कि भाटक के भाग का 1/4 भाग 1.11 करोड़ रूपये जो कि वर्ष 1999–2000 तक विभिन्न अवधियों से सम्बन्धित थे, को सरकारी लेखे में जमा नहीं किया गया। विस्तृत विवरण संलग्नक–3 में दिया गया है फिर भी सरकार ने देय प्रीमियम एवं भाटक की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 1999 एवं अप्रैल 2000 के मध्य) अधिकांश स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों/मुख्य नगर अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण राजकीय अंश, राजकीय कोष में जमा नहीं किया जा सका।उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजकीय अंश को, जब तक कि सरकार द्वारा विशेष रूप से रोके जाने हेतु अधिकृत न किया गया हो, राजकीय कोष में जमा किया जाना है।

6.2.6 सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों आदि से प्रीमियम की वसूली न किया जाना

शासनादेश सितम्बर, 1986 के प्रस्तर 2 के अनुसार नजूल भूमि, निगमों तथा अन्य संस्थानों को प्रीमियम तथा भाटक के वर्तमान बाजार दर से भुगतान करने पर आवंटित किया जाना है।

14 नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/विकास प्राधिकरणों के अभिलेखों की जॉच करने पर पाया गया कि शासनादेश का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक उपक्रमों तथा सांविधिक एवं स्थानीय निकायों से बिना प्रीमियम की वसूली किये ही नजूल भूमि का आवंटन किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार 120.46 करोड़ रूपये राजस्व की क्षति हुयी:

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं0	स्थानीय निकाय का नाम (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/विकास प्राधिकरण/उ0प्र0रा0स0प0नि0 / उ0प्र0रा0वि0प0 एवं जल निगम)	सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों द्वारा अधिग्रहीत नजूल भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वसूल न किया गया प्रीमियम
1	2	3	4
1	लखनऊ	10,115.60	3.36
2	इलाहाबाद	73,831.00	11.40
3	आगरा	10,403.11	2.53

1	2	3	4
4	गोरखपुर	18,936.40	0.77
5	मुरादाबाद	12,541.00	16.62
6	बाँदा	96,975.00	23.90
7	बस्ती	2006.00	0.99
8	गोण्डा	11,286.36	6.58
9	झाँसी	1,40,167.35	34.66
10	सुल्तानपुर	10,579.50	1.76
11	मथुरा	1,770.24	0.94
12	वाराणसी	38,799.60	0.87
13	देहरादून	7,753.34	3.26
14	फैजाबाद	30,55,082.00	12.82
	योग	***34,90,246.50***	*120.46*

6.2.7 पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के बाद नजूल भूमि का अनाधिकृत रूप से प्रतिधान किया जाना

मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत नजूल भूमि का पट्टा निश्चित शर्तों के अनुसार निष्पादित किया जाता है तथा पट्टे की अवधि के समाप्त हो जाने के बाद नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। पट्टा धारकों से यह अपेक्षा की गई है कि पट्टे की अवधि के समाप्ति के पश्चात पट्टे पर दी गई सम्पत्ति सरकार को वापस कर दी जाय।

शासन की विज्ञप्ति दिनांक 16 अक्टूबर 1986 के अनुसार ऊपर दिये गये प्रावधानों में ढील दी गई है तथा जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पहले वाले पट्टा धारकों के पक्ष में, वर्तमान बाजार दर एवं भाटक पर आंकलित नजराना (प्रीमियम) का 50 प्रतिशत वसूल करके दो नवीनीकरण के लिए (प्रत्येक 30 वर्ष के बाद), नया पट्टा सम्पादित किया जाय।

12 जनपदों के नजूल अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि मूल पट्टों की 2 से 85 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी सरकार, पट्टाधारकों से भूमि खाली कराने अथवा वर्तमान बाजार दर पर नजराना की वसूली करते हुए नये पट्टों को पुनः निष्पादन करने में, असफल रही। जिसके परिणामस्वरूप 171.17 करोड़ रूपये की प्रीमियम की वसूली नहीं हो सकी तथा सरकार को उस सीमा तक राजस्व से वंचित रहना पड़ा। इसके अतिरिक्त 15,40,084 वर्ग मीटर नजूल भूमि भी अनाधिकृत कब्जेदारों के कब्जों में पड़ी रही। विस्तृत विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	जिले का नाम	पट्टों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वसूली योग्य प्रीमियम
1	आगरा	431	4,65,910.00	71.01
2	बाँदा	1492	2,55,487.00	25.55
3	बस्ती	41	84,004.00	10.50
4	जौनपुर	201	1,00,287.60	12.03
5	झाँसी	227	2,33,426.64	23.35
6	मथुरा	450	1,05,921.48	10.35
7	हरदोई	37	5,468.61	0.20
8	सीतापुर	23	3,557.00	0.15
9	जालौन	10	32,662.73	1.64
10	कानपुर नगर	1	87,148.85	10.46
11	बरेली	12	24,739.13	5.56
12	नैनीताल	23	1,41,470.79	0.37
	योग	***2,948***	***15,40,083.83***	***171.17***

6.2.8 विस्थापित व्यक्तियों से प्रीमियम एवं किराए की वसूली न किया जाना

शासनादेश दिनांक 31 मार्च 1987 तथा 25 मार्च 1987 के द्वारा शासन ने शाहपुर, मोहम्मद शाह टीला से रूपपुर खादर तथा गोमती बन्धा से नेहरू नगर, इन्दिरापुरी, अम्बेदकर नगर, गुड़ियानटोला तथा इरादत नगर लखनऊ से विस्थापित व्यक्तियों को बसाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति से विहित प्रीमियम एवं भाटक लेकर 600 वर्ग फुट नजूल भूमि आंवटित की जायेगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में रखे गये अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि मार्च 1987 से मई 1987 के मध्य 487 विस्थापित व्यक्तियों को नजूल भूमि आंवटित कर दिया गया किन्तु नजराना 37.66 लाख रूपये एवं किराया 20.74 लाख रूपये की वसूली निम्न विवरणानुसार नहीं की गई:

विस्थापित व्यक्तियों की संख्या	प्रति भूखण्ड वसूली योग्य प्रीमियम की राशि (रुपये में)	वसूल न की गई प्रीमियम की राशि (लाख रुपये में)	प्रति भूखण्ड वसूलने योग्य वार्षिक किराए की राशि (रुपये में)	कब्जे की अवधि	कुल कब्जा की अवधि वर्षों में	वसूल न की गई किराए की राशि (लाख रुपये में)
1	**2**	**3 = 1 x 2**	**4**	**5**	**6**	**7 = 1 x 4 x 6**
30	4,000	1.20	100	जुलाई 77 से जून 99	23	0.69
213	5,200	11.08	130	जनवरी 78 से दिसम्बर 99	22	6.09
244	10,400	25.38	260	जनवरी 78 से दिसम्बर 99	22	13.96
487		***37.66***				***20.74***

6.2.9 अनाधिकृत कब्जों के विनियमितीकरण न किए जाने से प्रीमियम की हानि

शासन की विज्ञप्ति दिनांक 16 अक्टूबर 1986 में प्रावधान किया गया है कि जिन मामलों में स्थायी रूप से नजूल भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है, और हटाया जाना सम्भव नहीं है, आवासीय कब्जेदारों से अद्यतन बाजार दर का दो गुना प्रीमियम एवं वाणिज्यिक अनाधिकृत कब्जेदारों से चार गुना प्रीमियम तथा प्रचलित किराया को लेते हुए विनियमितीकरण कर दिया जाय।

तथापि शासनादेश दिनांक 1 दिसम्बर 1998 के अनुसार अनाधिकृत कब्जे की नजूल भूमि (1 जनवरी 1992 के पूर्व) का अनाधिकृत कब्जेदारों से आवासीय तथा व्यावसायिक भूमि का क्रमशः अद्यतन सर्किलदर 120 प्रतिशत तथा 200 प्रतिशत मूल्य लेकर विनियमितीकरण किया जायेगा।

9 स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए 2224 स्थायी प्रकृति के अनाधिकृत कब्जों (1843 आवासीय एवं 381 व्यावसायिक) को न तो हटाया गया और न विनियमित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 189.15 करोड़ रूपये प्रीमियम (आवासीय एवं व्यावसायिक कब्जों के सम्बन्ध में क्रमशः 65.05 करोड़ रूपये एवं 124.10 करोड़ रूपये) की वसूली नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप शासन को इस सीमा तक राजस्व हानि हुई। इसके अतिरिक्त 7,33,795 वर्ग मीटर नजूल भूमि अनाधिकृत कब्जेदारों के कब्जे में बनी रही। विवरण नीचे दिया गया है:

(i) आवासीय उद्देश्य हेतु अनाधिकृत कब्जे

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं0	स्थानीय निकाय का नाम	अवधि	अनाधिकृत कब्जेदारों की संख्या	अनाधिकृत कब्जे का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वसूली योग्य प्रीमियम
1.	नगर पालिका परिषद्, रायबरेली	पूर्व 1992	88	13,764.00	10.64
		बाद 1992	5	42,240.00	
2.	नगर पालिका परिषद, हरदोई	पूर्व 1992	142	12,361.00	1.79
3.	नगर निगम, आगरा	बाद 1992	111	29,578.14	4.17
4.	सीतापुर	बाद 1992	309	99,933.81	11.28
5.	जालौन (उरई)	बाद 1992	1179	4,20,599.59	36.85
6.	सहारनपुर	बाद 1992	5	216.70	0.01
7.	नैनीताल	बाद 1992	4	324.44	0.31
	योग		**1,843**	**6,19,017.68**	**65.05**

(ii) व्यावसायिक उद्देश्य हेतु अनाधिकृत कब्जे

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं0	स्थानीय निकाय का नाम	अवधि	अनाधिकृत कब्जेदारों की संख्या	अनाधिकृत कब्जे का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वसूली योग्य प्रीमियम
1.	नगर निगम, बरेली	पूर्व 1992 बाद 1992	8	49,640.00	99.28
2.	नगर पालिका परिषद, रायबरेली	पूर्व 1992	25	2,415.57	1.11
3.	नगर पालिका परिषद, हरदोई	बाद 1992	18	1,184.00	0.71
4.	नगर परिषद, फतेहाबाद, आगरा	बाद 1992	37	1,578.00	0.41
5.	सीतापुर	बाद 1992	29	1,858.08	0.41
6.	जालौन	बाद 1992	8	10,202.00	2.04
7.	नगर पालिका सरसावा, सहारनपुर	बाद 1992	4	207.00	0.16
8.	कानपुर नगर	बाद 1992	123	4,530.83	2.17
9.	नैनीताल	बाद 1992	129	43,162.48	17.81
	योग		**381**	**1,14,777.96**	**124.10**
	सकल योग (I+II)		***2,224***	***7,33,795.64***	***189.15***

6.2.10 नजूल भूमि की कीमत की वसूली न किया जाना/अवनिर्धारण

शासनादेश 23 मई 1992 के अनुसार यदि कोई नजूल भूमि भारत सरकार के किसी विभाग को हस्तान्तरित की जाती है तो उस विभाग को राज्य सरकार की स्वीकृति पर, प्रचलित बाजार दर के अनुसार भूमि की कीमत अदा करना होगा।

(अ) जनपद फैजाबाद के नजूल कार्यालय की लेखा परीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार ने मार्च, 1995 में 12629.76 वर्ग मीटर भूमि दूर संचार विभाग को हस्तान्तरित की थी। हस्तान्तरित भूमि की कुल कीमत प्रचलित बाजार दर के अनुसार 81.69 लाख रूपये आंकलित की गयी थी तथापि दूरसंचार विभाग ने केवल 69.95 लाख रूपये शासन को भुगतान किया और 11.74 लाख रूपये अवशेष रहा।

(ब) प्रभारी अधिकारी नजूल, गोण्डा की लेखा परीक्षा में देखा गया कि प्रभागीय अभियन्ता दूरसंचार विभाग गोण्डा ने, गोण्डा में 5000 लाइन के एलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज की स्थापना हेतु दिनांक 20 नवम्बर 1995 को नजूल भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया था। नगर पालिका गोण्डा ने 3220.26 वर्ग मीटर नजूल भूमि हस्तान्तरित करने हेतु 29.45 लाख रूपये (वर्ष 1995 में प्रचलित बाजार दर पर) मूल्य का प्रस्ताव बनाया। तथापि जिलाधिकारी ने 1 नवम्बर 1995 में

लागू प्रचलित सर्किल दर/बाजार दर से भूमि के मूल्य की गणना करने की अनुमति प्रदान की। इस आधार पर 1 नवम्बर 1991 के सर्किल दर से भूमि की कुल कीमत 17.93 लाख रूपये निकाली गयी, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा माह जनवरी 1996 में भुगतान किया गया। इसके फलस्वरूप दूरसंचार विभाग को हस्तान्तरित की गई भूमि की कीमत का अवनिर्धारण किए जाने से शासन को 11.52 लाख रूपये राजस्व की क्षति हुयी।

6.2.11 नजूल भूमि के क्षेत्रफल में भिन्नता के कारण प्रीमियम की क्षति

आगरा, इलाहाबाद, मथुरा तथा ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर) के नजूल अभिलेखों के नमूना जॉच में पाया गया कि कुल 1,69,99,704.42 वर्ग मीटर नजूल भूमि से 26,96,491.87 वर्ग मीटर भूमि कम पायी गयी, लेकिन विभाग/शासन द्वारा कम पायी गयी भूमि के कारणों की जॉच पड़ताल हेतु, कोई कार्यवाही नहीं की गयी। स्पष्टतया उक्त भूमि अनाधिकृत कब्जेदारों के हाथ में चली गयी। इस प्रकार प्रबंधन अधिकारियों द्वारा गायब हुई नजूल भूमि का पता लगाने अथवा प्रमाणित करने में असफल होने के परिणामस्वरूप 464.03 करोड़ रूपये भूमि की कीमत की वसूली निम्न विवरणानुसार नहीं की जा सकी:

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं0	नजूल भूमि के हस्तान्तरण कर्त्ता का नाम	विभाग का नाम जिसके पक्ष में नजूल भूमि का हस्तान्तरण किया गया	वर्ष	कुल हस्तान्तरित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वास्तविक उपलब्ध कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूमि की कमी (वर्ग मीटर में)	भूमि की कीमत
1.	तहसीलदार सदर, आगरा	आगरा विकास प्राधिकरण	1978	3,31,268.00	2, 84,606.00	46,662.00	69.99
2.	जिलाधिकारी, मथुरा	तहसीलदार मथुरा	1980	8,17,990.00	6,12,300.00	2,05,690.00	61.71
3.	जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर	नगर पालिका रूद्रपुर	1993	80,52,625.62	70,53,035.81	9,99,589.81	99.96
4.	जिलाधिकारी, इलाहाबाद	नगर निगम जिला पंचायत इलाहाबाद, टाउन एरिया झूंसी एवं फूलपुर	1993	77,97,820.80	63,53,270.73	14,44,550.07	232.37
		योग		**1,69,99,704.42**	**1,43,03,212.54**	**26,96,491.88**	**464.03**

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया (मार्च/अप्रैल 2000) कि राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण कम हुई भूमि का पता नहीं लगाया जा सका। सक्षम अधिकारियों द्वारा उन कर्मचारियों के विरूद्ध, जिसकी लापरवाही की वजह से अभिलेख गायब हुए, कोई भी कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई।

6.2.12 अनाधिकृत कब्जेदारों के अधीन नजूल भूमि

27 जनपदों के नजूल अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान 22 जनपदों के सम्बन्धित प्राधिकारियों

से अनाधिकृत कब्जेदारों के क्षेत्र तथा कुल नजूल भूमि की सूचना प्राप्त की गयी जो संलग्नक–4 में दर्शायी गयी है। जिससे इंगित होता है कि कुल नजूल भूमि के क्षेत्रफल में से 6.89 प्रतिशत भूमि, जैसा कि सूचना उपलब्ध कराई गयी, अनाधिकृत कब्जेदारों के कब्जों में रही। 5 जनपदों में 22 प्रतिशत से अधिक नजूल भूमि अनाधिकृत कब्जेदारों के पास थी। आवास अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ की लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि शासन स्तर पर अनाधिकृत कब्जा के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने हेतु कोई क्रिया विधि अस्तित्व में नहीं है।

8 जनपदों के नजूल अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि 32,59,574.18 वर्ग मीटर नजूल भूमि का क्षेत्रफल विभिन्न अवधियों में अनाधिकृत कब्जेदारों के कब्जे में रही, जिससे सरकार को वर्तमान बाजार मूल्य पर आगणित 657.77 करोड़ रूपये भूमि की लागत के रूप में राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	जिले का नाम	अनाधिकृत कब्जे की भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	नजूल भूमि की कीमत
1.	आगरा	1,56,892.79	62.39
2.	इलाहाबाद	4,31,464.00	43.15
3.	बाँदा	4,21,265.00	84.25
4.	बस्ती	2,85,346.05	18.69
5.	झाँसी	4,70,211.69	82.76
6.	लखनऊ	3,69,129.59	147.71
7.	कानपुर नगर	5,16,929.45	92.29
8.	वाराणसी	6,08,335.61	126.53
	योग	**32,59,574.18**	**657.77**

6.2.13 नजूल भूमि के अनाधिकृत उपयोग के पता लगाने में क्रिया विधि की असफलता

भूमि के भौतिक सत्यापन प्रक्रिया से ही नजूल भूमि के अनाधिकृत कब्जे वाले प्रकरणों का पता लगाया जा सकता है। भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा–28 तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 के साथ पठित भूलेख नियमावली अध्याय–5 के नियम 55 तथा 55–क के अन्तर्गत क्षेत्र (हल्का) से सम्बन्धित लेखपाल द्वारा वर्ष में तीन बार भूखण्डों का सर्वेक्षण करना और तहसीलदार/जनपद स्तरीय अधिकारियों को नियमितीकरण हेतु तथ्यों की सूचना देना वांछनीय है।

(i) जिलाधिकारी मथुरा के कार्यालय की लेखा परीक्षा में एक प्रकरण में पाया गया कि जनपद प्राधिकारी द्वारा 1,89,843.46 वर्ग मीटर नजूल भूमि नगरपालिका परिषद मथुरा को

22 बाँदा, बस्ती, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर

आवंटित की गयी, जब कि नगरपालिका परिषद के अभिलेखों में यह मात्र 85225 वर्गमीटर दर्शायी गयी थी। नगरपालिका परिषद के अभिलेखों में दिखाई गई नजूल भूमि, हस्तान्तरण से सम्बन्धित लेखपाल की सर्वे रिपोर्ट एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत कोई रिपोर्ट, न तो दर्ज थी और न ही नगरपालिका परिषद मथुरा के अभिलेखों में अधिक पाई गई भूमि ही दर्शायी गयी थी। स्पष्टतया 1,04,618.46 वर्ग मीटर नजूल भूमि का अतिक्रमण है जो संज्ञान में नहीं है।

(ii) नगरपालिका परिषद मथुरा की लेखा परीक्षा (मार्च 2000) में एक दूसरे प्रकरण में ज्ञात हुआ कि 18,965 वर्ग मीटर नजूल भूमि अनाधिकृत कब्जेदारों के कब्जे में थी जिसका न तो नगरपालिका परिषद द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया था और न ही सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अभिलेख में उक्त भूमि की स्थिति, सीमा या अन्य कोई विवरण दर्शाने वाली प्रविष्टियॉं ही दर्ज थी।

उपर्युक्त दोनों प्रकरणों में, अनाधिकृत उपयोग में रखी गयी भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर आगणित धनराशि 11.13 करोड़ रूपये (क्रमशः 9.42 तथा 1.71 करोड़ रूपये) के प्रीमियम के रूप में राजस्व से सरकार को वंचित होना पड़ा।

6.2.14 अतिक्रमण वाली नजूल भूमि को बाद में मलिन बस्ती माना जाना

(i) 1 जनवरी 1996 के शासनादेश के अनुसार शासन ने नजूल भूमि के अनाधिकृत कब्जे वाले उन गरीब व्यक्तियों को जो 1 जनवरी 1992 के पूर्व से अनाधिकृत कब्जा किये थे, जिनकी मासिक आय 1250 रूपये थी, के पक्ष में नियमितीकरण हेतु निर्णय लिया। इन व्यक्तियों के पक्ष में कब्जा, 30 नवम्बर 1991 के सर्किल दर के आधारपर आगणित वार्षिक किराया तथा प्रीमियम के भुगतान करने पर नीचे दिये गये विवरणानुसार नियमित किया जाना था:

क्रम संख्या	भूमि का क्षेत्रफल	प्रीमियम की राशि	वार्षिक किराये की राशि (रुपये)
1.	45 वर्ग मीटर तक	सर्किल रेट का 25 प्रतिशत	60.00
2.	45 वर्ग मीटर से अधिक लेकिन 100 वर्ग मीटर से कम	सर्किल रेट का 40 प्रतिशत	120.00

आगे, उक्त शासनादेश के अन्तर्गत, किसी भी दशा में 100 वर्ग मीटर से अधिक अनाधिकृत नजूल भूमि का विनियमितीकरण नहीं किया जा सकता।

जनपद फैजाबाद की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि बिना प्रीमियम और वार्षिक किराए के भुगतान के अनाधिकृत कब्जों के 169 कब्जेदारों के पक्ष में विनियमितीकरण किया गया। फलस्वरूप, प्रीमियम (13.72 लाख रूपये) तथा वार्षिक किराया (0.34 लाख रूपये) की वसूली न किए जाने से शासन को 14.06 लाख रूपये के राजस्व से वंचित रह जाना पड़ा।

(ii) नगर पालिका झॉंसी में स्थित तालपुरा मुहल्ला के भूखण्ड संख्या:–101 की 1,60,989. 82 वर्ग मीटर नजूल भूमि 1975–76 के पूर्व से ही लगभग 2000 कब्जेदारों के अतिक्रमण के

अधीन थी। अतिक्रमण के अधीन क्षेत्र को मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित किया गया जिसे मलिन बस्ती के वाशिंदों को हस्तान्तरित किया जाना था।

यद्यपि अतिक्रमण 1975–76 के पूर्व किया गया था, प्रबंधन अधिकारी द्वारा भूमि के विकास तथा इसे मलिन वस्ती निवासियों द्वारा स्थापित सहकारी समितियों को स्थानान्तरित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। फलस्वरूप, उक्त भूमि के अतिक्रमण का विनियमितीकरण नहीं किया जा सका और शासन को 28.98 करोड़ रूपये की धनराशि से प्रीमियम के रूप में वंचित होना पड़ा।

6.2.15 अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

(i) नगर पालिका परिषद सांड़ी, हरदोई के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 1,06,405 वर्ग मीटर नजूल भूमि को प्राधिकारियों द्वारा अनाधिकृत कब्जेदारों के कब्जों के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक परिसर (पब्लिक प्रीमाइसेस) अनाधिकृत कब्जेदारों को बेदखल किया जाना (इविक्सन आफ अनअथराइज्ड आकूपेन्टस) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत खाली कराने हेतु 324 मामले वर्ष 1972 में संस्थापित किये गये तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनाधिकृत कब्जों को खाली कराने का आदेश पारित किया। फिर भी अनाधिकृत कब्जों को खाली कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। परिणामस्वरूप 5.32 करोड़ रूपये प्रीमियम की वसूली नहीं हुयी तथा भूमि अनवरत अनाधिकृत कब्जेदारों के अधिकार में पड़ी रही।

(ii) उत्तर प्रदेश लोक परिसर (पब्लिक प्रेमाइसेज) अनाधिकृत कब्जेदारों को बेदखल किया जाना (इविक्सन आफ अनअथराइज्ड आकूपेनट्स) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत यदि नियत प्राधिकारी को संतुष्टि हो जाती है कि लोक परिसर (पब्लिक प्रेमाइसेस) अनाधिकृत कब्जेदारों के कब्जे में है तो वह खाली कराने का आदेश दे सकता है तथा अनाधिकृत रूप से प्रयोग किए जाने एवं ऐसे परिसर (प्रेमाइसेज) पर व्यवसाय के कारण जो नुकसान हुआ है उस धनराशि को निर्धारित कर सकता है और अनाधिकृत कब्जा धारकों को, आदेश में विहित तरीकों के अन्तर्गत, धनराशि भुगतान करने का आदेश भी पारित कर सकता है।

जनपद रायबरेली में रखे गए अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि जनवरी 1991 तथा जून 1993 की अवधि के बीच 31,183 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण 140 मामलों में नगर दण्डाधिकारी रायबरेली ने निर्णय दिया था तथा 0.41 लाख रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया था। यद्यपि 7 से 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी विभाग ने न तो अनाधिकृत कब्जा दारों से अर्थदण्ड वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की और न ही उनसे खाली ही कराया गया।

6.2.16 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता

उत्तर प्रदेश सरकार सचिवालय, लखनऊ के आवास अनुभाग–4 के अभिलेखों के नमूना जॉच में यह पाया गया कि सरकारी स्तर पर नजूल भूमि से सम्बन्धित जॉच (मानिटरिंग) की प्रभावकारी प्रणाली नहीं है। यहॉ तक कि जनपदीय अधिकारियों से प्राप्त विवरणियों को राज्य स्तर पर

एकीकृत नहीं किया जा सका। राजस्व संग्रह अथवा नजूल भूमि के अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने हेतु कोई निश्चित योजना, कार्यक्रम और लक्ष्य निर्धारित नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के होते हुए भी नजूल भूमि के प्रबंधन हेतु विधिक अधिनियम का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। श्रोत के लाभकारी, दक्ष और प्रभावकारी प्रबन्धन में सहायक आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली तथा नजूल भूमि से सम्बन्धित सामयिक एवं विश्वसनीय वित्तीय तथा प्रबन्धकीय सूचना प्राप्त कराने के लिए भी सरकार स्तर पर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा के दौरान नजूल भूमि के प्रबंधन में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की कुछ खामियाँ, जो प्रकाश में आई, वे निम्न प्रकार है:

अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना

मूल पट्टा विलेख के रख–रखाव की पत्रावली, जो बहुत ही आवश्यक प्रलेख है, अधिकतर स्थानीय निकायों के कार्यालयों में नहीं पाया गया। फलस्वरूप, उनमें दिये गये शर्तों और प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। भू–अभिलेख नियम संग्रह के नियम 316 से 322 के अनुरूप नजूल भूमि के लिए निर्धारित नियंत्रण एवं जॉच अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख/ पंजिकाएं जिनका रख–रखाव उचित रूप से नहीं किया जा रहा है निम्नवत् है:

(i) सम्पत्ति पंजिका

(ii) मॉग और संग्रह पंजिका

(iii) सर्वेक्षण रपट (सर्वे रिपोर्ट)

(iv) नजूल भूमि के जनपद/प्रबन्धन प्राधिकारी की मिलान रपट

6.3 संग्रह प्रभार की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 के अनुसार राजस्व अधिकारी, किसी निगम या परिषद या बैकिंग कम्पनी अथवा स्थानीय निकाय से जारी वसूली प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर, उसमें उल्लिखित धनराशि को कार्यवाही की लागत (संग्रह व्यय) समेत, भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूल करने की कार्यवाही करेगें। संग्रहीत किये गये/किये जाने वाले देयों की धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह व्यय राजस्व अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित ऋण दाता से वसूल किया जाता है। जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्र को सम्बन्धित निकायों द्वारा उनके अपने अनुरोध पर वापस लौटा दिये जाने अथवा चूककर्त्ता द्वारा बकाये की राशि को सीधे सम्बन्धित निकायों को जमा करने के पश्चात भी संग्रह व्यय उसी दर से वसूल किया जायेगा।

दो तहसीलदार कार्यालयों, सादाबाद (महामाया नगर) तथा गढ़मुक्तेश्वर, (गाजियाबाद) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया (जनवरी 1999 एवं मार्च 1999 के मध्य) कि 1.46 करोड़ रूपये

के 15 वसूली प्रमाण पत्र, दिसम्बर 1992 से जनवरी 1997 की अवधि में, विभाग को प्राप्त हुए। इनमें से 9 वसूली प्रमाण पत्रों से आच्छादित सम्पूर्ण बकाये की राशि तथा 2 मामलों में अंशतः वसूली की गयी। अवशेष 4 मामलों में वसूली प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को वापस कर दिये गये लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा संग्रह प्रभार नही वसूल किया गया। राजस्व संग्रह प्रभार न वसूल किये जाने के परिणामस्वरूप शासन को 14.63 लाख रूपये राजस्व हानि हुई।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 1999 से अक्टूबर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

6.4 सुख–साधन कर की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश कराधान एवं भू–राजस्व विधि अधिनियम, 1975, जो 1 अगस्त 1975 से प्रभावी है के अन्तर्गत राज्य में सुख–साधन कर, होटल के ग्राहकों पर आरोपित किया जाता है। यद्यपि कर का भुगतान होटल में रहने वाले ग्राहकों द्वारा देय होता है लेकिन होटल मालिक ही उक्त कर की वसूली कर कोषागार में निर्धारित अवधि में जमा करने हेतु उत्तरदायी है। प्रारम्भ में सुख–साधन कर 50 रूपये प्रतिदिन या अधिक किराये वाले कमरे पर देय था। परन्तु 12 अक्टूबर 1994 से 250 रूपये या अधिक प्रतिदिन किराये वाले कमरों पर देय है। अधिनियम की धारा–9 के अनुसार यदि निर्धारण आदेश में विहित अवधि के बीत जाने के बाद भी कर का सम्पूर्ण अंश या कोई भाग भुगतान हेतु अवशेष रहता है तो जिलाधिकारी बकाये की राशि को भू–राजस्व की भॉति वसूल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा।

9 जिलों के सुख–साधन कर अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मार्च 1999 तक कुल 2.04 करोड़ रूपया सुख–साधन कर मद में, दिए गए निम्न विवरणानुसार बकाया थाः

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	जिलों का नाम	होटलों की संख्या	कर की अवधि	बकाया सुख–साधन कर की राशि
1	आगरा	71	जून 1994 तक	42.30
2	बरेली	01	अप्रैल 1996 से मार्च 1998	0.40
3	देहरादून	14	अप्रैल 1994 से सितम्बर 1997	3.48
4	गोरखपुर	01	अप्रैल 1996 से मार्च 1999	0.53
5	लखनऊ	02	अप्रैल 1986 से नवम्बर 1998	39.11
6	मेरठ	02	अप्रैल 1996 से मार्च 1998	0.16
7	मुरादाबाद	72	मई 1997 से जुलाई 1999	10.33
8	नैनीताल	06	अप्रैल 1995 से मार्च 1999	52.59
9	वाराणसी	01	अक्टूबर 1983 से मार्च 1995	54.91
	योग			**203.81**

लेखा परीक्षा में इंगित करने पर (अक्टूबर एवं दिसम्बर 1999) विभाग ने बताया कि सुख–साधन कर की वसूली हेतु कार्यवाही की जायगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

6.5 सुख–साधन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की वसूली न किया जाना

जिस माह में होटल स्वामी द्वारा कर संग्रहीत किया गया है कर की राशि को होटल स्वामी द्वारा राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में उस माह की समाप्ति के 5 दिन के अन्दर जमा कर दिया जायगा। यदि होटल स्वामी निर्धारित अवधि में कर जमा नहीं करता है तो उसे 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज बकाया राशि पर देना होगा।

6 सम्भागीय पर्यटन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि होटल स्वामियों द्वारा कर का भुगतान 1 माह से 199 माह के अन्तराल की अवधि पर अप्रैल 1980 से नवम्बर 1999 के मध्य किया गया लेकिन ब्याज प्रभारित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 66.48 लाख रूपये ब्याज की वसूली नहीं की गयी। विवरण निम्नवत है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	जिलों का नाम	स्वामियों की संख्या	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (माह में)	देय ब्याज
1.	आगरा	4	250.03	12	45.05
2.	इलाहाबाद	3	1.99	3 से 6	0.43
3.	देहरादून	4	1.93	9 से 21	0.28
4.	कानपुर	3	4.76	1 से 9	0.35
5.	नैनीताल	5	135.36	2 से 40	4.72
6.	वाराणसी	2	56.34	134 से 199	15.65
	योग				**66.48**

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (अक्टूबर एवं दिसम्बर 1999) विभाग ने बताया कि देय ब्याज की वसूली की कार्यवाहीं की जायेगी। आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2000)।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

अध्याय–7: अन्य कर प्राप्तियाँ

(क) विद्युत शुल्क

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999–2000 के दौरान लेखा परीक्षा में सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) एवं नियुक्त प्राधिकारियों के लेखों की नमूना जॉच से 57 मामलों में 7101.51 लाख रूपये के विद्युत शुल्क एवं निरीक्षण फीस के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विद्युत शुल्क का न लगाया जाना	12	491.82
2.	ब्याज का अनारोपण	18	30.50
3.	निरीक्षण फीस का अनारोपण	18	2.57
4.	उपभोग की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क का अनारोपण	08	101.97
5.	विद्युत शुल्क एवं फीस का निर्धारण तथा संग्रहण पर समीक्षा	01	6474.65
	योग	**57**	**7101.51**

वर्ष 1999–2000 में विभाग ने 37 मामलों में 208.75 लाख रूपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिसमें से 15 मामलों में निहित 154.44 लाख रूपये की आपत्तियों को वर्ष 1999–2000 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किया गया था।

उदाहरणस्वरूप कुछ मामले, जिसमें विद्युत शुल्क एवं फीस का निर्धारण तथा संग्रहण पर एक समीक्षा को सम्मिलित करते हुए 64.75 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रभाव सन्निहित है निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं:

7.2 'विद्युत शुल्क एवं फीस का निर्धारण तथा संग्रहण' पर समीक्षा

मुख्य अंश

(i) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से, गलत आरोपण/मांग के फलस्वरूप 30.59 करोड़ रूपये, विद्युत शुल्क एवं ब्याज की वसूली न किया जाना।

(प्रस्तर 7.2.5)

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तथा लाइसेंसधारकों से 28.33 करोड़ रूपये विद्युत शुल्क एवं ब्याज की वसूली नहीं की गई।

(प्रस्तर 7.2.6)

(iii) रेलवे, रक्षा प्रतिष्ठानों एवं जनरेटर प्रयोगकर्ताओं से 75.03 लाख रूपये विद्युत शुल्क की वसूली नहीं की गई।

(प्रस्तर 7.2.7)

(iv) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विद्युत वितरण खण्डों, द्वारा 196.96 लाख रूपये विद्युत शुल्क का कम निर्धारण।

(प्रस्तर 7.2.8)

(v) निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप 50.51 लाख रूपये निरीक्षण फीस की वसूली न किया जाना।

(प्रस्तर 7.2.9)

(vi) लेखा के अप्रस्तुतीकरण हेतु अर्थदण्ड 208.37 लाख रूपये तथा आडिट फीस 52.75 लाख रूपये की वसूली नही की गई।

(प्रस्तर 7.2.10)

7.2.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार द्वारा राज्य के अन्दर, विद्युत के घरेलू तथा औद्योगिक उद्देश्य हेतु उपभोग की गई विद्युत पर, विद्युत शुल्क आरोपित किया जाता है। राज्य के अन्दर विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952, समय–समय पर यथा संशोधित तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन किया जाता है।

अधिनियम में यथा परिभाषित लाइसेन्सधारकों, परिषद एवं नियुक्त प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि मीटर गणना माह के बाद पड़ने वाले दो कैलेण्डर माह के अन्दर विद्युत शुल्क की देय धनराशि जमा करेगा।

आपूर्ति कर्त्ता के आपूर्ति व्यवस्था से सम्बन्धित (विद्युत) व्यवस्थापन की जॉच एवं निरीक्षण फीस तथा आडिट फीस का आरोपण एवं भुगतान राज्य सरकार को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के अन्तर्गत की जाती है।

7.2.2 संगठनात्मक ढॉचा

राज्य सरकार का ऊर्जा विभाग, विद्युत अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों को, निदेशक विद्युत

सुरक्षा (विद्युत सुरक्षा) उत्तर प्रदेश सरकार, जो संगठनात्मक व्यवस्था का मुखिया है, के माध्यम से प्रशासित करती है। क्षेत्रीय स्तर पर 11 उप निदेशक (विद्युत सुरक्षा) तथा परिक्षेत्र स्तर पर 41 सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) उसकी सहायता करते हैं।

7.2.3 लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र

कार्यालय निदेशक विद्युत सुरक्षा एवं 3 क्षेत्रीय[23] कार्यालयों तथा 41 परिक्षेत्रीय[24] कार्यालयों में से 16 परिक्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ष 1994–95 से 1998–99 की अवधि में विद्युत शुल्क एवं फीस के निर्धारण तथा संग्रहण की कार्य पद्धति की प्रभावशीलता की जॉच करने तथा यह देखने हेतु कि नियमों, सरकारी आदेशों तथा अनुदेशों का अनुपालन सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं, पर एक समीक्षा (अक्टूबर 1999 से अप्रैल 2000 के मध्य) सम्पन्न की गई। नियमित लेखा परीक्षा के दौरान देखे गए कुछ मामलों को भी समीक्षा में सम्मिलित किया गया है।

7.2.4 राजस्व का रूझान

मार्च 1999 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षों के दौरान विद्युत शुल्क के बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक प्राप्ति निम्नवत थी:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर बढोत्तरी (+) घटोत्तरी (–)	अन्तर का प्रतिशत
1994-95	70.73	68.56	(-) 2.17	(-) 3.07
1995-96	72.56	76.88	(+) 4.32	(+) 5.95
1996-97	76.18	78.32	(+) 2.14	(+) 2.81
1997-98	130.00	110.88	(-) 19.12	(-) 14.71
1998-99	97.70	100.85	(+) 3.15	(+) 3.22

वर्ष 1997–98 के दौरान विद्युत शुल्क के संग्रहण में कमी 10 प्रतिशत से अधिक थी। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर निदेशक (विद्युत सुरक्षा) ने बताया (अक्टूबर 1999) कि स्वयम् ऊर्जा प्रजनन करके उपभुक्त ऊर्जा पर सरकार द्वारा विद्युत शुल्क की छूट दिये जाने (फरवरी 1998) के कारण विद्युत शुल्क के संग्रहण में कमी हुई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जब छूट दी गयी तब वित्तीय वर्ष (1997–98) का अधिकांश भाग समाप्त हो चुका था।

नमूना जॉच के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख अगले प्रस्तरों में किया गया है:

---

23 कानपुर, लखनऊ तथा शाहजहाँपुर।

24 आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रूड़की, शाहजहाँपुर, सुल्तानपुर तथा वाराणसी।

(क) विद्युत शुल्क

7.2.5 विद्युत शुल्क का गलत निर्धारण/मांग

(i) प्रत्येक परिक्षेत्र के सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के वितरण खण्डों से प्रत्येक माह, देय विद्युत शुल्क के आंकड़ों का संग्रह करता है तथा उसे निदेशक (विद्युत सुरक्षा) लखनऊ को समेकन हेतु अग्रसारित करता है। इस समेकित आकड़े को विद्युत शुल्क के भुगतान हेतु निर्धारण/मांग माना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद भी उपर्युक्त विद्युत शुल्क के भुगतान हेतु अपना निर्धारण करता है।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 1998–99 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा स्वयं के आकंलन के आधार पर 118.71 करोड़ रूपये सरकार को देय था। निदेशक (विद्युत सुरक्षा) लखनऊ ने 92 करोड़ रूपये की मांग (फरवरी 1999) में निर्धारित किया था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने उक्त मांग का भुगतान (मार्च 1999) कर दिया तथा 26.71 करोड़ रूपये अपने आर्थिक चिट्ठा में शासन को देय अवशेष विद्युत शुल्क दिखाया। इस प्रकार गलत निर्धारण के कारण परिषद से 26.71 करोड़ रूपये की वसूली नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त अप्रैल 1999 से अक्टूबर 1999 के मध्य इस धनराशि पर देय ब्याज 2.80 करोड़ रूपये का निर्धारण भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

निदेशक (विद्युत सुरक्षा) ने बताया (अगस्त 2000) कि 26.71 करोड़ रूपये की वसूली परिषद से नहीं की गयी।

(ii) सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) गाजियाबाद से निदेशक विद्युत सुरक्षा लखनऊ में प्राप्त मांग विवरणों की संवीक्षा में देखा गया कि प्राप्त विवरणों के दौरान (अक्टूबर 1999) यह पाया गया कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड–III गाजियाबाद से सम्बन्धित वर्ष 1994–95 का 87.54 लाख रूपये विद्युत शुल्क के विवरण को वर्ष 1994–95 में तथा आगे के वर्षो के लिए समेकित मांग में सम्मिलित नहीं किया गया। आगे दो वितरण खंडों (बुलन्दशहर तथा मैनपुरी) के 20 लाख रूपये विद्युत शुल्क को वर्ष 1994–95 के समेकित मांग में योग की त्रुटि के कारण, कम सम्मिलित किया गया। परिणामस्वरूप 107.54 लाख रूपये के विद्युत शुल्क को वार्षिक मांग में सम्मिलित न किये जाने के कारण वसूल नहीं किया जा सका।

7.2.6 लाइसेन्सधारकों/उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से विद्युत शुल्क/ब्याज का वसूल न किया जाना

अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत लाइसेन्सधारी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा, विद्युत शुल्क की धनराशि में जिस माह में मीटर रीडिंग अभिलिखित की जाती है, उसके बाद के दो कैलेन्डर माहों के अन्दर जमा करना होता है। विद्युत शुल्क के न जमा किये जाने की दशा में लाइसेंसधारक, परिषद या अन्य व्यक्ति से अदत्त विद्युत शुल्क की धनराशि पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी प्रभार्य है।

(i) कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी (सेस) के अभिलेखों की नमूना जॉच से यह प्रकाश में आया कि जनवरी 1997 से मार्च 1997 की अवधि का आंकलित विद्युत शुल्क 10.67 लाख रूपये सोसाइटी द्वारा जमा नहीं किया गया था। आगे यह भी पाया गया कि उपरोक्त धनराशि मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निदेशक (विद्युत सुरक्षा) द्वारा बनाई गई बकाया रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त अप्रैल 1997 से अप्रैल 2000 की अवधि में (लेखा परीक्षा की तिथि तक) 5.75 लाख रूपयों के ब्याज की धनराशि उपरोक्त दोषी लाइसेन्सधारक पर प्रभार्य थी।

(ii) कार्यालय निदेशक (विद्युत सुरक्षा) लखनऊ में विद्युत शुल्क का निर्धारण तथा जमा से सम्बन्धित रखे गये अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने वर्ष 1994–95 से 1998–99 की अवधि हेतु 342.51 करोड़ रूपये विद्युत शुल्क, 1 माह से लेकर 11 माह तक, प्रतिवर्ष विलम्ब से जमा किया। शुल्क के विलम्ब से भुगतान करने हेतु परिषद पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से 28.16 करोड़ रूपये ब्याज आरोपणीय था, परन्तु आरोपित नहीं किया गया।

7.2.7 विद्युत शुल्क की वसूली/आरोपण न किया जाना

अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी सरकार, रेलवे अथवा रक्षा विभाग के आवासीय कालोनियों में उपभोग हेतु आपूर्ति की गई ऊर्जा पर सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से विद्युत शुल्क वसूली योग्य है। आगे उपभोक्ता को अपने स्रोत से उत्पादित उर्जा पर भी विद्युत शुल्क देय है।

निदेशक (विद्युत सुरक्षा) के कार्यालय में रखे गये अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि घरेलू उद्देश्य हेतु उपभुक्त उर्जा पर 15 रक्षा, 2 रेलवे प्रतिष्ठानों एवं 31 स्व उत्पादित उर्जा इकाइयों द्वारा मार्च 1999 तक देय 64.61 लाख रूपये विद्युत शुल्क नहीं वसूला गया।

इसके अतिरिक्त नियुक्त प्राधिकारियों (रेलवे तथा रक्षा विभाग) द्वारा अप्रैल 1992 से सितम्बर 1999 की अवधि में 10.42 लाख रूपये विद्युत शुल्क न तो आरोपित किया गया और न ही जमा किया गया।

7.2.8 विद्युत शुल्क का कम निर्धारण

(i) अधिनियम के अन्तर्गत, लाइसेंसधारक अथवा परिषद द्वारा उपभोक्ता को बेची गयी ऊर्जा पर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से विद्युत शुल्क आरोपणीय तथा राज्य सरकार को देय है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के 8 विद्युत वितरण खण्डों के अभिलेखों (कामर्सियल स्टेटमेन्ट नं0 4 अथवा सी0एस0–4) की नमूना जॉच से यह पता चला कि विद्युत शुल्क का सही निर्धारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप 170.82 लाख रूपये के विद्युत शुल्क का निम्न विवरण के अनुसार कम निर्धारण हुआः

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	वितरण खण्ड का नाम	सी0एस0–4 का माह	बेची गई यूनिट	प्रभार्य विद्युत शुल्क की दर (प्रति यूनिट में)	विद्युत शुल्क जो निर्धारित किया जाना है	वास्तविक निर्धारित विद्युत शुल्क	कम निर्धारित विद्युत शुल्क की धनराशि	विभाग के उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	फूलबाग, कानपुर	मई 97 से मार्च 98 अप्रैल 98 से मार्च 99 अप्रैल 99 से अक्टूबर 99	17,91,11,504	9 पैसे	161.20	123.41	37.79	मीटर रीडिंग न लिये जाने, मीटर खराब होने के कारण बिल में विद्युत शुल्क प्रभारित नहीं किया गया
2.	इन्द्रानगर लखनऊ	जनवरी 97 से फरवरी 97 अप्रैल 98 से मार्च 99	5,46,10,588	तदैव	49.15	46.60	2.55	गणना में त्रुटि
3.	गोमती नगर लखनऊ	फरवरी 97 से मार्च 97 अप्रैल 97 से मार्च 98 अप्रैल 98 से मार्च 99	10,71,08,237	तदैव	96.40	70.27	26.13	मीटर रीडिंग न लिये जाने, मीटर खराब होने के कारण बिल में विद्युत शुल्क प्रभारित नहीं किया गया
4.	रहीम नगर लखनऊ	अप्रैल 95 से मार्च 96 अप्रैल 95 से मार्च 96 फरवरी 97 एवं अप्रैल 97 से मार्च 98	1,60,14,195 97,53,699 5,46,36,047	5 पैसे 6 पैसे 9 पैसे	8.00 5.85 49.17	7.40 3.94 41.30	0.60 1.91 7.87	–तदैव–
5.	सर्वोदय नगर कानपुर	मई 97 से मार्च 98 अप्रैल 98 से मार्च 99	3,42,73,966 5,24,47,049	9 पैसे तदैव	30.85 47.20	20.54 30.38	10.31 16.82	अभिलेखों का उचित रख रखाव न होने के कारण विद्युत शुल्क कम प्रभारित किया गया
6.	टाउन हाल खण्ड–I मुजफ्फर–नगर	अप्रैल 94 से मार्च 95 अप्रैल 95 से मार्च 96 जनवरी 97 से मार्च 97 अप्रैल 97 से मार्च 98 अप्रैल 98 से मार्च 99 अप्रैल 99 से दिसम्बर 99	36,81,282 19,67,37,580	5 पैसे 9 पैसे	1.84 177.00	1.30 131.00	0.54 46.00	विद्युत शुल्क कम जमा होने के लिए कम्प्यूटर सेल को सूचित किया गया
7.	विक्टोरिया पार्क, खण्ड–I मेरठ	जनवरी 97 से फरवरी 97 अप्रैल 97 से मार्च 98 अप्रैल 98 से मार्च 99	8,91,40,590	9 पैसे	80.23	61.40	18.83	मिलान के उपरान्त कम विद्युत शुल्क को प्रभारित किया जायेगा
8.	खण्ड–I लाल डिग्गी, अलीगढ़	अप्रैल 95 से मार्च 96 जनवरी 97 से मार्च 97 अप्रैल 98 से मार्च 99	70,83,325 73,14,828	5 पैसे 9 पैसे	3.54 6.58	3.27 5.38	0.27 1.20	कम जमा विद्युत शुल्क के लिए कम्प्यूटर सेल को सूचित किया जा रहा है।
	योग				***717.01***	***546.19***	***170.82***	

(ii) अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विद्युत शुल्क की दरें 2 जनवरी 1997 तक नियत प्रभार पर उपभुक्त ऊर्जा के विद्युत प्रभार का 10 प्रतिशत था। 3 जनवरी 1997 से इसे बढ़ाकर विद्युत प्रभार का 20 प्रतिशत कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के 9 विद्युत वितरण खण्डों के अभिलेखों की नमूना जॉच से पता चला कि पूर्व संशोधित दर/गलत दर अपनाये जाने के कारण 26.14 लाख रूपये विद्युत शुल्क का कम निर्धारण हुआ था। विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	वितरण खण्ड का नाम	सी0एस0–4 का माह	नियत प्रभार	विद्युत शुल्क की दर	विद्युत शुल्क जो निर्धारित होना है	विद्युत शुल्क जो वास्तव में निर्धारित हुआ	कमी विद्युत शुल्क	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	फूल बाग कानपुर	अप्रैल 97 से मार्च 98 एवं अप्रैल 98 से मार्च 99	65.11	नियत प्रभार का 20 प्रतिशत	13.02	6.50	6.52	अधिशासी अभियन्ता (बल्क) द्वारा सही दर से प्रभारित नहीं किया जाना
2.	गोमती नगर लखनऊ	फरवरी 97 से मार्च 97	6.38	तदैव	1.28	0.64	0.64	संशोधित दर लागू न किये जाने के कारण
3.	इन्द्रा नगर लखनऊ	जनवरी 97	2.25	तदैव	0.45	0.22	0.23	संशोधित दर की प्राप्ति न होने के कारण
4.	रहीम नगर, लखनऊ	फरवरी 97 एवं अप्रैल 98 से मार्च 99	20.35	तदैव	4.07	3.05	1.02	मीटर रीडिंग न लेने, मीटर खराब होने के कारण बिलों में विद्युत शुल्क प्रभारित नहीं किया गया।
5.	सर्वोदय नगर, कानपुर	अप्रैल 97 से मार्च 98 एवं अप्रैल 98 से मार्च 99	48.13	तदैव	9.63	4.71	4.92	अधिशासी अभियन्ता (बल्क) द्वारा विद्युत शुल्क कम प्रभारित किया गया
6.	टाउन हाल खण्ड–I मुजफ्फर नगर	जनवरी 97 से मार्च 97, अप्रैल 97 से मार्च 98 एवं अप्रैल 98 से मार्च 99	14.53	तदैव	2.91	1.41	1.50	कम्प्यूटर सेल से मामले को उठाया जायेगा
7.	विक्टोरिया पार्क, खण्ड–I मेरठ	अप्रैल 97 से मार्च 98 एवं अप्रैल 98 से मार्च 99	13.23	तदैव	2.65	0.48	2.17	मिलान के उपरान्त कम प्रभारित विद्युत शुल्क की वसूली की जायेगी
8.	खण्ड–I लाल डिग्गी, अलीगढ़	जनवरी 97 से मार्च 97, अप्रैल 97 से मार्च 98 एवं अप्रैल 98 से मार्च 99	3.38	तदैव	.0.68	0.34	0.34	मामला कम्प्यूटर सेल को सूचित किया जायेगा
9.	खण्ड इटावा	जनवरी 97 से मार्च 99	44.03	तदैव	8.80	--	8.80	नये शासकीय आदेशों के अनुसार कार्यवाही आरम्भ की जायेगी
	योग				*43.49*	*17.35*	*26.14*	

(ख) फीस (निरीक्षण एवं आडिट फीस)

7.2.9 निरीक्षण फीस की वसूली हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाना

नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक विद्युत अधिष्ठानों का सावधिक निरीक्षण और परीक्षण, सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) द्वारा निश्चित अवधि के अन्तराल पर, जो पॉच वर्ष से अधिक न हो, किया जाना अपेक्षित है। ऐसे निरीक्षण और परीक्षण की फीस प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और उपभोक्ता द्वारा अग्रिम रूप से देय होती हैं।

निदेशक (विद्युत सुरक्षा) की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया (अक्टूबर 1999) कि निर्धारित प्रक्रिया के विरूद्ध, 50.51 लाख रूपये की निरीक्षण फीस, बिना अग्रिम वसूल किए हुये ही, सावधिक निरीक्षण कर लिए गये।

लेखा परीक्षा की टिप्पणी के उत्तर में निदेशक (विद्युत सुरक्षा) द्वारा यह सूचित किया गया कि वसूली हेतु वसूली प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये हैं।

7.2.10 वार्षिक लेखा के प्रस्तुत न करने के लिए अर्थदण्ड का न लगाया जाना एवं आडिट फीस का वसूल न किया जाना

नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक लाइसेंसधारक/स्वीकृतधारक(स्वीकृति के शर्तों के अनुसार) को, निदेशालय (विद्युत सुरक्षा) के लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को, लेखा परीक्षा हेतु वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना होता है और लेखा परीक्षा फीस जो प्रत्येक लेखा के लिए 25000 रूपये से अधिक नहीं होगी, अग्रिम जमा करना होता है। प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक लेखा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपरोक्त प्रावधानों के सतत उल्लंघन के लिए लाइसेंसधारक/स्वीकृतधारक प्रतिदिन 50 रूपये की दर से अर्थदण्ड के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

निदेशक (विद्युत सुरक्षा) लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि लाइसेंसधारक/स्वीकृतधारकों द्वारा वर्ष 1985–86 से 1998–99 के लिए 211 वार्षिक लेखों को 31 दिसम्बर 1999 तक लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। फिर भी, निदेशक (विद्युत सुरक्षा) द्वारा लाइसेंसधारकों/स्वीकृतधारकों पर 208.37 लाख रूपये के अर्थदण्ड के आरोपण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। निदेशालय द्वारा उपरोक्त दण्डात्मक मापदण्ड न अपनाए जाने के कारण उपरोक्त लेखा को जमा नहीं किया गया और वे बिना लेखा परीक्षा के रह गये। परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा फीस के रूप में 52.75 लाख रूपये की राजस्व से सरकार को वंचित होना पड़ा।

7.2.11 आन्तरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली की असफलता

अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी अथवा परिषद, से अपेक्षित है कि वह छःमाही/वार्षिक विवरणी निर्धारित फार्म 'ए' में (जिसमें आपूर्तित ऊर्जा या उपभोग की गयी ऊर्जा, उस पर देय विद्युत शुल्क तथा वास्तविक विद्युत शुल्क का भुगतान एवं अपलिखित शुल्क की धनराशि) तथा फार्म 'बी' (जिसमें प्रारम्भिक तथा अन्तिम

अवशेष, विद्युत शुल्क की धनराशि, देय ब्याज तथा अर्थदण्ड तथा वास्तविक भुगतान, समायोजित एवं अपलिखित धनराशि) सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) को प्रस्तुत करेगा।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि लाइसेन्सधारकों, नियुक्त प्राधिकारियों तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के वितरण खण्डों से निर्धारित विवरणी, सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। परिणामस्वरूप सहायक निदेशक स्तर पर विद्युत शुल्क के निर्धारण की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इस प्रकार निरीक्षण, निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारियों के आपसी समन्वय का आभाव ही विद्युत शुल्क के कम/गलत निर्धारण हेतु उत्तरदायी रहा।

उपरोक्त विन्दुओं को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

(ख) गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार

7.3 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999–2000 के दौरान चीनी मिलों तथा खाण्डसारी इकाइयों के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा में किये गये नमूना जॉच में 11 मामलों में 488.00 लाख रूपये के गन्ने के क्रय कर का अनारोपण/कम आरोपण का पता चला जो प्रमुखतया निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

(लाख रूपये में)

क्रमांक	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	क्रय कर का भुगतान न किया जाना/कम भुगतान किया जाना	11	488.00
	योग	**11**	**488.00**

वर्ष 1999–2000 के दौरान विभाग ने 8 मामलों में 75.99 लाख रूपये के अवनिर्धारण आदि के मामले को स्वीकार किया जिसे लेखा परीक्षा में पूर्व के वर्षो में इंगित किया गया था। 0.10 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रभाव का एक मामला अनुवर्ती प्रस्तर में दिया गया है:

7.4 क्रय कर का भुगतान न किया जाना

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3–क के अन्तर्गत कोई भी चीनी मिल मालिक, मिल में उत्पादित चीनी की निकासी तब तक नहीं करेगा या करायेगाा जब तक कि वह इस प्रकार चीनी के निर्माण में प्रयुक्त गन्ने के क्रय पर आरोपणीय कर का भुगतान न कर दें। राज्य सरकार ने वर्ष 1997–98 के लिए (18 दिसम्बर 1998)को मे0 किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, गजरौला के द्वारा उत्पादित चीनी पर क्रय कर के भुगतान हेतु 29.00 रूपये प्रति कुन्तल बोरी निर्धारित किया था। मिल से चीनी की निकासी से पूर्व कर का भुगतान हो जाना अपेक्षित था।

फिर भी यह पाया गया (दिसम्बर 1998) कि सितम्बर एवं अक्टूबर 1998 के मध्य 34003 बोरी चीनी की निकासी बिना क्रय कर का भुगतान किये ही किया गया। जिसके फलस्वरूप 9.86 लाख रूपये के गन्ना क्रय कर का भुगतान नहीं हुआ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया (दिसम्बर 1998) कि कर का भुगतान अगले माह में कर दिया जायगा। आगे कार्यवाही प्रतीक्षित है (अगस्त 2000)।

मामला शासन को मार्च 1999 एवं मई 2000 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

(ग) मनोरंजन कर तथा बाजीकर

7.5 लेखा परीक्षा के परिणाम

मनोरंजन कर कार्यालयों की वर्ष 1999–2000 की लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों के नमूना जांच में देखा गया कि 27 मामलों में 182.47 लाख रूपये के मनोरंजन कर एवं लाइसेंस शुल्क का अनारोपण/वसूल न किया जाना तथा अन्य अनियमिताओं का पता चला जो प्रमुखतया निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	मनोरंजन कर/लाइसेंस फीस का अनारोपण/वसूली न किया जाना	18	174.08
2.	अन्य अनियमितताएं	09	8.39
	योग	**27**	**182.47**

1.52 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रभाव के कुछ मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं:

7.6 रख रखाव प्रभार का गलत उपयोग/अनु–उपयोग किये जाने पर मनोरजंन कर की भॉति वसूली न होना

उत्तर प्रदेश मनोरजंन कर एवं बाजीकर अधिनियम 1979 के अन्तर्गत सिनेमा स्वामियों द्वारा, सिनेमा हाल में प्रवेश करने के लिए भुगतान करने वाले व्यक्तियों से, एक रूपया अतिरिक्त प्रभार, रख रखाव प्रभार के रूप में वसूल किया जाता है। सिनेमा मालिक द्वारा इस प्रकार से वसूला गया रख रखाव प्रभार सिनेमा हाल के रख रखाव पर व्यय किया जाता है। शासकीय अधिसूचना दिसम्बर 1996 के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्ययों को चिन्हित किया गया है जिस पर रख रखाव प्रभारों का उपयोग किया जाना है। आगे यह भी प्रावधान है कि रख रखाव प्रभार की न उपयोग की गयी राशि अथवा प्रतिवंधित मद पर व्यय की गयी सम्पूर्ण राशि को मनोरजंन कर के रूप में जमा किया जाना है।

(i) जिला मनोरंजन कर कार्यालय, पडरौना (कुशीनगर) की लेखा परीक्षा में पाया गया (मार्च

1999) कि अधिनियम एवं शासकीय निर्देशों के विपरीत सिनेमा स्वामियों द्वारा संग्रहीत 5.09 लाख रूपये रख रखाव प्रभार को प्रोजेक्टर तथा जनरेटर पर (अप्रैल 1996 से मार्च 1998 की अवधि में) व्यय किया गया। चूंकि इन मदों को स्वीकृत रख रखाव व्यय मदों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि मनोरंजन कर के रूप में वसूली योग्य है। परन्तु विभाग द्वारा इसे न तो आरोपित किया गया और न ही वसूली की गयी, जिसके परिणामस्वरूप शासन को उस सीमा तक राजस्व हानि हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (मार्च 1999) विभाग ने बताया कि प्रोजेक्टर व जनरेटर, सिनेमा चलाने के लिए अति आवश्यक है अतएव इनके रख रखाव पर किया गया व्यय उचित है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त मदों पर किया गया रख रखाव व्यय, शासकीय अधिसूचना में शामिल नहीं है।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 1999 एवं दिसम्बर 1999); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2000)।

(ii) 3 मनोरंजन कर कार्यालयों, वाराणसी, मुजफ्फरनगर एवं एटा की लेखा परीक्षा में पाया गया (अक्टूबर 1998 से जुलाई 1999 के मध्य) कि सिनेमा मालिकों द्वारा संग्रहीत 150.10 लाख रूपये रख रखाव प्रभार का, उपयोग सम्बन्धी मासिक विवरणियों को, विभाग को निर्धारित तिथियों तक प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसका विवरण तालिका में नीचे दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	वर्ष	सिनेमा हालों की संख्या	संग्रहीत धनराशि	उपयोग की गयी राशि	राशि जो उपयोग नहीं की गई
1.	जिला मनोरंजन कर अधिकारी मुजफ्फरनगर	1995-96 से 1998-99	10	78.57	3.16	75.41
2.	जिला मनोरंजन कर अधिकारी एटा	1997-98 से 1998-99	11	39.78	----	39.78
3	सहायक आयुक्त मनोरंजन कर वाराणसी	1997-98	9	31.75	----	31.75
	योग			**150.10**	**3.16**	**146.94**

सिनेमा स्वामियों द्वारा उपयोग न की गई रख रखाव प्रभार की सम्पूर्ण धनराशि 146.94 लाख रूपये की वसूली मनोरंजन कर की भॉति वसूली योग्य थी लेकिन विभाग द्वारा उसकी वसूली नहीं किये जाने से उस सीमा तक वसूली बाकी रही।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 1998 एवं जुलाई 1999) विभाग ने अवगत कराया कि उपयोग न की गयी राशि की वसूली हेतु सिनेमा स्वामियों को नोटिसें निर्गत की गयी है। आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2000)।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 1999 से फरवरी 2000 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

अध्याय–8: वन प्राप्तियाँ

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999–2000 में सम्पन्न लेखा परीक्षा के दौरान वन विभाग के प्रभागीय अभिलेखों की नमूना जॉच में 193.83 करोड़ रूपये के पट्टा किराया, अर्थदण्ड का अनारोपण/कम आरोपण/वसूल न किए जाने आदि एवं पायी गयी अन्य अनियमितताएं मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:

(लाख रूपये में)

क्रमांक	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1	रियायती दर पर वनोत्पादों का आवंटन	04	22.84
2	लीसा विदोहन में अनियमितताएं	05	66.91
3	रायल्टी का गलत निर्धारण	25	603.03
4	आरा मिलों के पंजीकरण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	06	5.72
5	स्टाम्प ड्यूटी के प्रभारित न किये जाने से राजस्व हानि	03	6.17
6	अर्थदण्ड का अनारोपण/कम आरोपण	07	84.00
7	तेन्दू पत्ता के संग्रहण एवं निस्तारण में अनियमितताएं	07	1183.87
8	पट्टा किराया का वसूल न किया जाना	10	1102.13
9	विविध अनियमितताएं	273	16308.10
	योग	**340**	**19382.77**

वर्ष 1999–2000 की अवधि में विभाग ने 53 मामलों में 300.10 लाख रूपये का अवनिर्धारण स्वीकार किया। उदाहरणार्थ 3.29 करोड़ रूपये के सन्निहित कुछ मामले अगले पृष्ठ पर वर्णित प्रस्तरों में दिये गये हैं:

8.2 टिम्बर के वास्तविक उत्पाद पर रायल्टी की वसूली न किया जाना

मुख्य वन संरक्षक (मु0व0सं0) के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार टिम्बर (काष्ठ) की अनुमानित एवं वास्तविक उत्पाद के मध्य 5 से 10 प्रतिशत तक की भिन्नता अनुमन्य है। जहाँ ऐसी भिन्नता 10 प्रतिशत से अधिक होती है, वहाँ अधिक उत्पाद पर निर्धारित दर पर रायल्टी लगायी जाने योग्य होती है।

दक्षिणी खीरी वन प्रभाग, लखीमपुर खीरी तथा बहराइच वन प्रभाग, बहराइच के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 1998 एवं अक्टूबर 1998) में पाया गया कि उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0प्र0व0नि0) द्वारा विदोहित टिम्बर का वास्तविक उत्पाद दक्षिण खीरी में वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 के दौरान 43.74 प्रतिशत से 43.95 प्रतिशत तक और बहराइच में वर्ष 1997–98 के दौरान 68.79 प्रतिशत से 198.16 प्रतिशत तक अधिक रहा, किन्तु विभाग ने मात्र अनुमानित उत्पाद के आधार पर ही रायल्टी की मांग प्रस्तुत की। इस प्रकार 2.08 करोड़ रूपये मूल्य के 4154.84 घन मीटर (दक्षिण खीरी 2583.90 घन मीटर, बहराइच 1570.94 घन मीटर) टिम्बर (प्रकाष्ठ) पर वन रायल्टी बिना प्रभारित तथा वसूली के रह गयी।

प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी ने कहा कि प्रकाष्ठ विभिन्न परिमाणों के लट्ठों में थे, जिसके कारण प्रकाष्ठ के सही आयतन की गणना सम्भव नहीं थी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि प्रकाष्ठ के ढुलाई के समय प्रकाष्ठ के वास्तविक आयतन का निर्धारण किया गया था तथा रेन्ज अधिकारी के सी–4 (अ) पंजिका में अंकित किया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच ने कहा है कि प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है तथा उ0प्र0व0नि0 के विरूद्ध वसूल न की गयी रायल्टी की नयी मांग सृजित की जायेगी। फिर भी प्रभाग ने वसूल न की गयी रायल्टी की अतिरिक्त माँग अप्रैल 2000 तक सृजित नहीं की थी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था (मार्च 1999 और मई 1999); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2000)।

8.3 बॉस की लाटों पर कार्य न करने से हानि

वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त (वन विभाग) द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम को बॉस की बिक्री के लिए निर्धारित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अनुसार वन निगम द्वारा इसे आवंटित बॉस की सभी लाटों के लिए वास्तविक विदोहन का ध्यान दिए बिना वन विभाग को रायल्टी का भुगतान करना था।

मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर तथा सोनभद्र वन प्रभाग, राबर्ट्गंज–सोनभद्र के अभिलेखों की

नमूना जॉच (जनवरी 1998, सितम्बर 1998) में पाया गया कि वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान उ0प्र0व0नि0 को आवंटित 14 लाटों (3 लाटें: मिर्जापुर, 11 लाटें: सोनभद्र) में से 8 लाटों (3 लाटें: मिर्जापुर, 5 लाटें: सोनभद्र) पर कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार अनुमानित 94514 कोरी[25] (21750 कोरी:मिर्जापुर 72764 कोरी: सोनभद्र) बॉसों के उत्पाद पर जिसका रायल्टी मूल्य 42.70 लाख रूपये (7.74 लाख रूपये मिर्जापुर 34.96 लाख रूपये सोनभद्र) था, उ0प्र0व0नि0 ने मात्र 7.15 लाख रूपये की ही रायल्टी का भुगतान किया, शेष 35.55 लाख रूपये (7.74 लाख रूपये मिर्जापुर, 27.81 लाख रूपये सोनभद्र) की रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर ने कहा कि इन लाटों पर कार्य करना वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोगी नहीं था तथा बॉस एक दूसरे से उलझे हुए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पातन चक्र के अनुसार बॉसों की लाटों पर कार्य करने की जरूरत होती है तथा ऐसा न करने से आगामी वर्षो में बॉस के फसल का विकास अवरूद्ध होता है। प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र ने बताया कि उ0प्र0व0नि0 के विरूद्ध रायल्टी की मॉग सृजित कर दी गयी है। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2000)।

प्रकरण वर्ष 1995–96,1996–97 तथा 1997–98 में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के माध्यम से शासन के संज्ञान में लगातार लाया जाता रहा है। फिर भी कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी (अगस्त 2000)।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (जनवरी 1999 और मई 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

8.4 वृक्षों का अवैध पातन

वन उत्पाद की बिक्री के नियम एवं शर्तो के अनुसार उ0प्र0व0नि0 द्वारा अवैध पातन किए गए वृक्षों के लिए निगम अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वृक्षों का पातन चाहे जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में, अर्थदण्ड की दर वृक्षों के मूल्य का तीन से पॉच गुना तक जिसकी सीमा अधिकतम 1000 रूपये प्रति वृक्ष है।

बहराइच वन प्रभाग, बहराइच के अभिलेखों की नमूना जॉच से ज्ञात हुआ कि उप प्रभागीय अधिकारी (वन) एवं रेन्ज अधिकारियों के एक विशेष समूह द्वारा की गयी सघन कार्यवाही (जून एवं जुलाई 1998) के दौरान अब्दुल्लागंज रेन्ज के अन्तर्गत नैमनहारा, अब्दुल्लागंज तथा खैरनिया गश्तों में विभिन्न प्रजातियों के 20.53 लाख रूपये मूल्य के 525 वृक्ष उ0प्र0व0नि0 द्वारा अवैध रूप से पातन कराये गये पाये गये थे। प्रभाग द्वारा मात्र 2 लाख रूपये मूल्य के 34146 घन मीटर

25 कोरी = 20 बाँसों का एक बन्डल

प्रकाष्ठ बरामद किए जा सके। विभाग ने 23.65 लाख रूपये (प्रकाष्ठ का मूल्य 18.53 लाख रूपये तथा अर्थदण्ड 5.12 लाख रूपये) की मांग निर्गत नहीं किया।

प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच ने बताया कि सम्बन्धित कर्मचारियों को आरोपपत्र दे दिये गये हैं। अवैध पातन को रोकने के लिए कोई उपाय न करने और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में न लाने की अकर्मण्यता के लिए आरोपपत्र दिये गये। 23.65 लाख रूपये की वसूली के लिये अन्तिम कार्यवाही प्रतीक्षित थीं (अप्रैल 2000)।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने उ0प्र0व0नि0 के विरूद्ध, नियम के अन्तर्गत यथा अपेक्षित, मांग निर्गत नहीं की।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

8.5 लीसा का कम विदोहन

वन प्रभाग अपनी कार्य योजना के अनुसार लीसा के विदोहन के लिए वृक्षों को चिन्हित करता है। चिन्हित वृक्षों पर नालियों की विशिष्ट संख्या बनाकर लीसा का विदोहन किया जाता है। विभागीय आदेश (नवम्बर 1996) के अनुसार उत्पादन का मानक 2 कुन्तल प्रति एक सौ नाली नियत किया गया था।

अभिलेखों की नमूना जॉच से ज्ञात (मई 1999 से अक्टूबर 1999) हुआ कि उन प्रभागों में 754080 नालियॉ बनाई गई थी। विभागीय मानकों के अनुसार लीसा वर्ष 1998 के दौरान कुल 15081 कुन्तल लीसा का विदोहन किया जाना था। फिर भी केवल 11575 कुन्तल लीसा का ही विदोहन प्रभागों द्वारा किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा नियत 1750 रूपये प्रति कुन्तल की दर से 61.36 लाख रूपये मूल्य के 3506 कुन्तल लीसा के विदोहन की कमी रही।

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा ने कहा कि लीसा विदोहन में कमी प्राकृतिक आपदाओं के कारण थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मुख्य वन संरक्षक (कुमॉऊ) नैनीताल का दृष्टिकोण था (जनवरी 1998) कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी प्रयास नहीं किये गये। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ में लीसा का उत्पादन मानक से अधिक था।

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ तथा प्रभागीय निदेशक, केदारनाथ ने गिरावट का कारण निस्तारण की नई पद्धति (रिल पद्धति) अपनाया जाना बताया। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि रिल पद्धति

राज्य में वर्ष 1992 से अपनायी गयी थी और कार्य योजनाये तथा लक्ष्य मानकों के अनुसार नियत किये गये थे।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था (नवम्बर 1999 और मार्च 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2000)।

रमा मुरली

इलाहाबाद
दिनॉक:

(रमा मुरली)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)–II,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

नई दिल्ली
दिनॉक

(वी0 के0 शुन्गलू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

संलग्नक - I

प्रस्तर 5.4 (क) लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	1 सितम्बर 1998 से 16 दिसम्बर 1998 की अवधि			17 दिसम्बर 1998 से नवम्बर 1999 की अवधि			स्टाम्प शुल्क की कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ऋण की धनराशि	देय स्टाम्प शुल्क	दिया गया स्टाम्प शुल्क (रुपयों में)	ऋण की धनराशि	देय स्टाम्प शुल्क	दिया गया स्टाम्प शुल्क (रुपयों में)	
1	आगरा	53.95	1.08	750	748.90	1.29	2100	
2	इलाहाबाद	36.57	0.73	1330	207.32	0.42	2330	
3	अलीगढ़	76.40	1.53	1780	239.70	0.25	2110	
4	बरेली	54.60	1.09	1155	466.28	1.09	3795	
5	देहरादून	41.02	0.82	900	260.55	0.66	2200	
6	इटावा	95.50	1.91	840	160.00	0.60	1025	
7	फैजाबाद	18.00	0.36	500	67.49	0.34	1300	
8	गाजियाबाद	261.85	5.24	1000	756.81	2.22	2800	देय स्टाम्प शुल्क (4+7) = 84.34
9	गोरखपुर	102.91	2.06	2340	272.28	0.61	1800	दिया गया स्टाम्प शुल्क (5+8) = (-) 0.82
10	ग्रेटर नोएडा	118.02	2.36	1155	36.00	0.10	165	स्टाम्प शुल्क
11	हल्द्वानी	510.08	10.20	3040	182.29	0.84	2550	का कम लगाया जाना = 83.52
12	झाँसी	1.50	0.03	100	5.00	0.02	100	
13	कानपुर (नगर)	210.35	4.21	2380	638.17	1.31	4590	
14	कानपुर (देहात)	99.00	1.98	850	270.98	0.82	1870	
15	लखनऊ	96.80	1.94	600	174.70	0.71	1650	
16	मेरठ	156.60	3.13	850	399.63	0.77	1870	
17	मुरादाबाद	42.65	0.85	20	239.90	0.53	1070	
18	मुजफ्फरनगर	97.75	1.95	420	70.65	0.30	755	
19	नोएडा	395.30	7.90	2550	630.95	1.28	12040	
20	सहारनपुर	294.80	5.90	870	287.24	0.54	1370	
21	वाराणसी	652.30	13.05	4020	625.56	1.32	8440	
	योग	**3415.95**	**68.32**	**27450**	**6740.39**	**16.02**	**54930**	

संलग्नक - II

प्रस्तर 6.2.5(अ) प्रीमियम के शासकीय अंश का अनाधिकृत प्रतिधारण

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	स्थानीय निकाय का नाम (नगर निगम/नगर पालिका परिषद एवं विकास प्राधिकरण)	अवधि	वसूल किये गये प्रीमियम की धनराशि	शासकीय अंश जो राजकोष में जमा नहीं किया गया
1	इलाहाबाद	1994-95 से 1998-99	79.74	39.87
2	गोरखपुर	1994-95 से 1998-99	0.08	0.04
3	सुल्तानपुर	1994-95 से 1999-2000	2.96	1.48
4	गोण्डा	1994-95 से 1999-2000	15.56	7.78
5	मथुरा	1994-95 से 1999-2000	39.60	19.80
6	झाँसी	1995-96 से 1999-2000	4.22	2.11
7	आगरा	1995-96 से 1999-2000	21.25	10.63
8	रायबरेली	1994-95 से 1999-2000	36.72	18.36
9	बरेली	1994-95 से 1999-2000	19.18	9.59
10	हरदोई	1994-95 से 1999-2000	50.83	25.42
11	जालौन	1995-96 से 1999-2000	45.00	22.50
12	उधमसिंह नगर (रूद्रपुर)	1996-97 से 1999-2000	16.30	8.15
	योग		***331.44***	***165.73***

संलग्नक - III

प्रस्तर 6.2.5(ब) प्रीमियम के शासकीय अंश एवं भू–भाटक का अनाधिकृत प्रतिधारण

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	स्थानीय निकाय का नाम	पट्टाधारकों की संख्या	शासकीय अंश जो राजकोष में जमा नहीं किया गया
1	देहरादून	627	0.43
2	इलाहाबाद	2613	10.62
3	गोरखपुर	272	1.10
4	वाराणसी	1806	1.17
5	लखनऊ	2658	33.76
6	बुलन्दशहर	1351	1.83
7	मेरठ	170	0.07
8	मुरादाबाद	अनुपलब्ध	0.14
9	हरिद्वार	2006	0.06
10	सुल्तानपुर	3836	0.61
11	गोण्डा	6196	2.03
12	मथुरा	507	0.09
13	आगरा	1213	2.02
14	झाँसी	227	0.08
15	बाँदा	1492	1.01
16	बस्ती	अनुपलब्ध	0.03
17	रायबरेली	अनुपलब्ध	7.67
18	हरदोई	अनुपलब्ध	3.15
19	बरेली	अनुपलब्ध	14.52
20	सीतापुर	2705	2.83
21	जालौन	अनुपलब्ध	5.53
22	सहारनपुर	275	1.01
23	नैनीताल	1346	8.34
24	ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)	3783	13.15
	कुल योग		**111.25**

संलग्नक - IV

प्रस्तर 6.2.12 अनाधिकृत कब्जेदारों के अधीन नजूल भूमि

क्रम सं0	जनपद	नजूल भूमि का कुल क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	अनाधिकृत कब्जेदारों के अधीन क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	अनाधिकृत कब्जेदारों के अधीन नजूल भूमि की प्रतिशतता
1.	गोरखपुर	1,33,38,139.00	1,04,201.00	0.78
2.	गोण्डा	38,77,867.00	86,572.00	2.23
3.	हरिद्वार	28,45,040.00	7,20,730.00	25.33
4.	सुल्तानपुर	20,09,088.00	20,759.00	1.03
5.	लखनऊ	3,06,13,547.00	4,70,212.00	1.54
6.	झाँसी	85,75,682.00	2,85,346.00	3.33
7.	बाँदा	19,50,362.00	4,31,464.00	22.12
8.	बस्ती	18,78,737.00	4,21,265.00	22.42
9.	आगरा	69,01,000.00	1,56,893.00	2.27
10.	मथुरा	19,98,819.00	72,222.00	3.61
11.	वाराणसी	1,39,82,405.00	5,16,929.00	3.70
12.	मुरादाबाद	6,97,106.00	1,02,491.00	14.70
13.	मेरठ	1,11,17,980.00	6,78,702.00	6.10
14.	रायबरेली	2,51,765.00	4,772.00	1.89
15.	हरदोई	17,90,875.00	2,82,118.00	15.75
16.	सीतापुर	36,14,549.00	1,28,941.00	3.56
17.	कानपुर नगर	37,75,729.00	3,69,130.00	9.77
18.	उरई	37,02,160.00	4,33,827.00	11.71
19.	सहारनपुर	34,6,105.00	3,021.00	0.87
20.	नैनीताल	74,59,298.00	17,30,516.00	23.19
21.	उधमसिंह नगर	80,52,626.00	18,33,445.00	22.76
22.	इलाहाबाद	77,97,821.00	6,08,336.00	7.80
	योग	***13,65,75,700.00***	***94,61,892.00***	***6.89***